IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 201 OF 2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit Of District Magistrate Shamli in Compliance of Order dated 01.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	**ANNEXURE R-1.** Copy of letters issued to responsible officers of the departments and administration dated 24.04.2025 are annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**	
3.	**ANNEXURE R-2.** A Copy of Letter no.1599/oa No.201 documenting	

	the formal communication issued by the U.P. Pollution Control Board regarding compliance with the NGT order	
4.	**ANNEXURE R-3.** A copy of report dated 22nd March 2025.	
5.	**ANNEXURE R-4.** A Copy Model Estimate on Renovation of Khokri River containing the detailed financial model and cost estimates prepared for the renovation of the Khokri River.	
6.	**ANNEXURE R-5.** A copy of MNREGA Action Plan outlining the action plan formulated under the MNREGA scheme for mobilizing local labor for the river's restoration work.	
7.	**ANNEXURE R-6.** A copy of Report on Drains discharging into River Khokri detailed measurement and capacity of 16 filter chambers and 2 waste stabilization ponds.	
8.	**ANNEXURE R-7.** Report on Tree Plantation and Action Plan specifying the comprehensive strategy and cost estimates for the tree plantation initiative along the banks of the Khokri River.	

9.	**ANNEXURE R-8** A copy of office letter no. 194 dated 21.05.2025.	
10.	**ANNEXURE R-9 (Colly)** Orders dated 12.04.2025 passed by the Sub Divisional Magistrate Shamli, Tehsil Unn	
11.	**ANNEXURE R-10** A copy of proposals dated 11.04.2025 sent to State Clean Ganga Mission, Namami Gange, and the Rural Water Supply Department, UP, Lucknow.	
12.	**ANNEXURE R-11** A copy of the letter dated 22.05.2025 of Executive Engineer, Drainage Division Shamli (Muzaffarnagar).	

FILED THROUGH

Dated:- 14.06.2025

ANKIT VERMA
STANDING COUNSEL STATE OF UP
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013
MOB: - 09990804440 [Email-ankit.scngtup@gmail.com]

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 201 OF 2024

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No:-13333/17 NOTARIAL GOVT.OF INDIA

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ...RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE SHAMLI IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 01.04.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No.6

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Arvind Kumar Chauhan, aged about 43 years S/o Shri Lakshmi Narayan presently posted as District Magistrate Shamli, do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

NOTARY

1. That I am the above-mentioned authorized officer of answering Respondent No.6 and is duly competent to file the present

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No:-13333/17 GOVT.OF INDIA

07.6.25

affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That the deponent is posted as District Magistrate Shamli since September 2024 and is swearing this reply affidavit in his official capacity.

NOTARY
FARZANA
Shamli Tehsil
R.No: 13333/17
GOVT.OF IND.

5. That the deponent herein tenders his unconditional apology before this Hon'ble Tribunal for not filing the appropriate report/response by way of personal affidavit as directed by this Hon'ble Tribunal vide its orders dated 01.03.2024, 10.05.2024, 27.08.2024 and 06.12.2024. The order of Hon'ble Tribunal has been miscommunicate by the responsible officers of the departments and administration, therefore, the deponent issued warning letters to the concerned officers vide letter dated 24.04.2025. Copy of letters issued to responsible officers of the departments and administration dated 24.04.2025 are annexed herewith and marked as **Annexure R-1.** NOTARY

6. That the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that he is committed to ensure strict compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in both letter and spirit and further undertakes before this Hon'ble Tribunal that in future reply/response will be filed within time as and when directed by this Hon'ble Tribunal and no default will occur on behalf of the deponent.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No:-13333/17 GOVT. OF INDIA

NOTARY

7. That the present reply is being filed in respectful compliance of the order dated 01.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

8. That the present Original Application has been filed raising the issue of pollution and degradation of Khokhari River, a rain – fed tributary of River Yamuna, in District Shamli and Saharanpur of Uttar Pradesh.

9. That, the Regional Office of the U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar, vide letter number 1599/0A No.-201/Amit Kumar (Khokhari)/Shamli/2025, dated 20th March 2025 issued a formal communication addressed to the Regional Officer, UP Pollution Control Board, District Saharanpur. That the said communication, pertains to the compliance with the order passed in the aforementioned case and states that the restoration plan for the seasonal Khokhari River, which flows through Shamli District, has been duly forwarded by the office of the deponent, to the Director (Technical) of the National Mission for Clean Ganga, Ministry of Jal Shakti, Government of India, along with all pertinent attachments for further

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No. 13333/1 GOVT. OF INDIA

necessary action. Copy of Letter no.1599/oa No.201 dated 20th March 2025 regarding compliance with the order passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

NOTARY

10. That subsequently, a detailed report was transmitted from the office of the deponent, through letter number 450/NGT/OA No. 201/2024/2025 dated 22 March 2025 to the Director (Technical) National Mission Clean Ganga. That this report outlines an exhaustive action plan detailing both technical and financial aspects, as well as the environmental and infrastructural measures proposed for the rehabilitation of the Khokhari River. A copy of report dated 22nd March 2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**

NOTARY

11. That the restoration and rehabilitation plan for the Khokhari River is set forth with clear factual and technical details. That the seasonal Khokhari River originates in the village of Chausana Jadid, which falls under the development block "Unn," and then traverses through several villages—namely, Chausana, Gurjarpur, Jijaula, Kala Mazra, Kamalpur, and Nai

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No: GOVT. OF INDIA

NanglaSakauti—before merging with the Yamuna River at MajraKhwajapura in the village of Kabirpur. That the total measured length of the river within the District Shamli is approximately 17.84 kilometers, with an average width of 22 meters.

12. That pursuant to the directives passed by this Hon'ble Tribunal, a joint committee was constituted by the office of the deponent comprising of the Sub Divisional Magistrate Shamli and the Block Development Officer of Unn. That the committee was mandated to rejuvenate the Khokhari River by preparing an action plan which included detailed provisions for marking, removal of encroachments, and excavation. That as part of this process, the Block Development Officer of Unn generated 50 MNREGA IDs under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to facilitate the renovation and excavation work. That an estimate for the proposed work under the MNREGA scheme was calculated at Rs. 288.06 lakh. The following table, reproduced in its entirety, details the parameters by village:

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil GOVT. OF INDIA

S.No	Name of covered	Length of river in village in Km	Average Width of the river in the village	MNREGA estimate amount for River renovation in Rs.	Total MNREGA workers in the village	Numbers of workers who worked in the year 2024-25	MNREGA According to time estimates	Probable period of completion of work by MNREGA workers
1	Bhadi	0.4	22 m	670305	158	1	2828	7 year 74 days
2	Chausana Jadid	3.35	22 m	5165541	233	47	21796	1 year 24 days
3	Chausana	0.09	22 m	187359	420	30	791	1 day
4	Gujarpur	1.32	22 m	2702689	123	12	11404	2-year 60 day
5	Jijaula	3.02	22 m	2337802	266	48	9864	56 days
6	Kabirpur	2.35	22 m	4784255	91	7	20187	8 years
7	Kala Majra	1.03	22 m	1580638	194	11	6670	1 year 66 days
8	Kamlapur	2.41	22 m	4102567	103	22	17311	2 year 60 days
9	Kertu	1.2	22 m	2482536	118	25	10475	1 year 14 days
10	Nai Nagla Sakauti	2.67	22 m	4790716	204	46	20214	1 year 20 days
	Total	17.84	22 m	288.04 Lakh	-	-	-	Estimate 8 years

13. That the action plan initially made available by the Chief Development Officer, Shamli, through office letter no. 328/ST dated 30 November 2024, was duly submitted before the Hon'ble Tribunal, New Delhi. That due to the extensive period

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No: 13333/1 GOVT.OF INDIA

NOTARY

estimated for the completion of work under the MNREGA scheme, compounded by the insufficiency of available manpower, it was determined that executing the project via MNREGA was inappropriate. That accordingly, an alternative proposal for mechanized excavation was developed, for which the Block Development Officer provided an estimate of Rs. 564.455 lakh to complete the excavation work. Copy of the comprehensive financial model and cost estimates for renovating the Khokri River is annexed herein as **ANNEXURE R-4.**

14. That this alternative method is deemed both expedient and fully compliant with the Hon'ble Tribunal's directive for early restoration. That the detailed action plan formulated under the MNREGA framework is further described in **ANNEXURE R-5.**

15. That further reports from the District Panchayat Raj Officer indicate that 16 drains from various Gram Panchayats discharge domestic wastewater into the Khokhari River. That in order to address this issue, an estimate of Rs. 15.874 lakh has

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No. 13333/17 GOVT. OF INDIA

been provided for the construction of 16 filter chambers and 2 waste stabilization ponds. That the detailed report specifying the number of drains falling into the Khokhari River along with the details of the measurement and capacity of 16 filter chambers and 2 waste stabilization ponds is annexed herewith as **ANNEXURE-6.**

16. That it has also been observed that, apart from a few permanent constructions, the majority of the Khokhari River's corridor is free from encroachments, and that any encroachments present will be removed in conjunction with the excavation work. That the Divisional Forest Officer has recommended a tree plantation initiative along the river banks, with an estimated allocation of Rs. 112.498 lakh to facilitate ecological restoration through afforestation. That the corresponding detailed tree plantation action plan is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R- 7** . The proposal has been sent to SMCG, Lucknow. After the funds are located by SMCG, the tree plantation drive will start in July and around 15,000 trees wll be planted.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No. 1333 GOVT. OF INDIA

17. That with regards to illegal encroachment and its removal the deponent vide his office letter no. 194 dated 21.05.2025 directed the DFO, SDM, DPRO, E.E. Drainage, BDO Unn to submit a factual report. A copy of office letter no. 194 dated 21.05.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-8.**

18. That it was informed that for the removal of permanent construction proceedings under section 152(1) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita were instituted and admitted on the report of the Jiledar Drainage Division Shamli (Muzaffarnagar) dated 19.04.2025 before the Court of Sub Divisional Magistrate Shamli, Tehsil Unn, wherein notices were issued upon the 27 persons belongs to Village Sakauti and 07 of Village Chausana who have encroached the River Bank for immediate removal of such encroachments. A copy of orders dated 12.04.2025 passed by the Sub Divisional Magistrate Shamli, Tehsil Unn is annexed herewith and marked as **Annexure R-9 (Colly).**

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No:-13383/17 GOVT.OF INDIA

19. That in view of the non-availability of adequate manpower under the MNREGA scheme and the inadequacy of local village funds, an additional proposal has been formulated. That, as detailed by the Block Development Officer, Unn (Shamli) in letter number 5073/Account-MGNREGA/2024-25 dated 19 March 2025, a proposal amounting to Rs. 5,64,45,500.00 has been prepared to execute the work through other implementing agencies. That this proposal has been duly transmitted to the Chief Development Officer, Shamli for the requisite action.

NOTARY

20. That the actions undertaken by the District Administration in Shamli reflects strict adherence to the mandate issued by this Hon'ble Tribunal. That the process adopted has been methodical, transparent, and duly recorded in all communications and reports. That every administrative decision—from the generation of MNREGA IDs and the preparation of detailed cost estimates to the adoption of mechanized excavation in view of manpower constraints—has

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.: GOVT. OF INDIA

been communicated in writing, thereby evidencing adherence to due process.

21. That in summary, the financial requirements for the entire restoration work are as follows: the cost for mechanized excavation is estimated at Rs. 564.455 lakh; the cost for waste water treatment is estimated at Rs. 15.874 lakh; and the cost for tree plantation is estimated at Rs. 112.498 lakh. That the total aggregate estimated cost amounts to Rs. 692.827 lakh. That proposal for securing the necessary funds are currently being incorporated within the action plan of the District Ganga Committee, and corresponding proposals have been forwarded to the State Clean Ganga Mission, Namami Gange, and the Rural Water Supply Department, UP, Lucknow. A copy of proposals dated 11.04.2025 sent to State Clean Ganga Mission, Namami Gange, and the Rural Water Supply Department, UP, Lucknow is annexed herewith and marked as **Annexure R-10.**

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT.OF INDIA

22. That Executive Engineer, Drainage Division, Shamli (Muzaffarnagar) vide letter no. 591/DDM/Khokhari dated 22.05.2025 has informed that all data regarding Khokhari River has been given to Irrigation and Water Resource Department Saharanpur for demarcation of flood plain zone of Kohkhari river. Executive Engineer, Irrigation and Water Resource Department has informed that the payment has been made on dated 31.03.2025 Survey of India, Dehradun and National Institute of Hydrology, Roorkee. Dem Data will be provided by Survey of India, Dehradun with 04 months i.e. till 31.07.2025. After providing Dem Data by Survey of India, Dehradun, it is proposed to complete the work of the flood plain zone of Khokhari River by N.I.H. Roorkee within 06 months i.e. by 31.01.2026. After completion of flood plain zone proceedings, the Gazette Notification will be issued by 28.02.2026. After determining the flood plain zone of Khokhari River, the pillers work will be complete by 30.04.2026. The letter dated 22.05.2025 of Executive Engineer, Drainage Division Shamli

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil GOVT. OF INDIA NOTARY

(Muzaffarnagar) is annexed herewith and marked as **Annexure R-11.**

23. That the detailed delineation of financial requirements and the proactive inter-departmental coordination in seeking funds from multiple state and central agencies ensure that the restoration project is both fiscally responsible and environmentally sound. That the inclusion of comprehensive measures addressing waste water treatment, solid waste management, encroachment removal, and tree plantation demonstrates a holistic approach aimed at restoring ecological balance and safeguarding public health.

24. That the deponent undertakes before this Hon'ble Tribunal, that earnest measures are being undertaken for removal of encroachments and pollution from the Khokri River. Simultaneously steps are being undertaken for its rejuvenation and restoration.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT. OF INDIA

25. That the instant response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same may be taken on record.

NOTARY

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. On this 7th day of Jun, 2025.

NOTARY

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT. OF INDIA

07/6/25

DEPONENT

RTI/LTI SIGNATURE OF DEPONENT

मैं घोषणा करता हूं कि शपथ कर्ता को जानता हूं उसने इस शपथ पत्र पर आज मेरे व नोटरी के सामने अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया है।

ATTESTED 07/06/2025
FARZANA NOTARY
R.No:- 13333/17 SHAMLI

Annexure R-1

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्र संख्या– 34/मु0वि0अ0/एस0टी0, दिनांक 24–04–2025

कठोर चेतावनी

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद–शामली।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0–201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन में अगली सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से एक सप्ताह पूर्व अधोहस्ताक्षरी स्तर से प्रति शपथ–पत्र दाखिल कराया जाना था। दिनांक 01.04.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया कि उपरोक्त प्रति शपथ–पत्र आप द्वारा अपने स्तर से हस्ताक्षरित किया गया, जिसे प्रदूषण विभाग द्वारा बिना अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाये मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया, जिस पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद आपके इस कृत्य से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष जिला प्रशासन की छवि प्रभावित हुई।

उपरोक्त के क्रम में आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कदापि न की जाये। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध प्रतिकूल संज्ञान लिये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्र संख्या– 33 / मु0वि0अ0 / एस0टी0, दिनांक 25–04–2025

कठोर चेतावनी

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
जनपद–शामली।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0–201 / 2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन में अगली सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से एक सप्ताह पूर्व अधोहस्ताक्षरी स्तर से प्रति शपथ–पत्र दाखिल कराया जाना था। दिनांक 01.04.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया कि उपरोक्त प्रति शपथ–पत्र प्रदूषण विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित न कराते हुये मुख्य विकास अधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित कराकर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया। उपरोक्त आदेश में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा यह पूछा गया था कि नदी को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु क्या प्रयास किये गये, जिस क्रम में कोई संतोषजनक जवाब शपथ–पत्र में दाखिल न होने पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा नराजगी व्यक्त की गयी है। मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पृष्ठांकन संख्या–1507 / एस0टी0, दिनांक 03.01.2025 के द्वारा आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित की गयी थी किन्तु आप द्वारा प्रकरण का अपने स्तर से कोई अनुश्रवण नही किया गया।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कदापि न की जाये। अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध प्रतिकूल संज्ञान लिये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्र संख्या– 32 / मु0वि0आ0 / एस0टी0, दिनांक 25 –04–2025

कठोर चेतावनी

प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग,
जनपद–शामली।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0–201 / 2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 एवं 06.12.2024 के अनुपालन में खोखरी नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु इसका प्रस्ताव राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर धनराशि की मांग की जा रही है, इस आशय का पत्रालेख अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–450 / एन0जी0टी0 / ओ0ए0 201–2024 / 2025, दिनांक 22.03.2025 के द्वारा निदेशक (तकनीकि), एन0एम0सी0जी0, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। मा0 एन0जी0टी0 की दिनांक 01.04.2025 को प्रकरण में सुनवाई नियत होने के बावजूद आप द्वारा 09 दिवस व्यतीत हो जाने तक भी उपरोक्त प्रस्ताव जिला गंगा समिति से अनुमोदित कराकर धनराशि मांग हेतु नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित नही कराया गया। परिणामस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा सुनवाई दिनांक 01.04.2025 में इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कदापि न की जाये। अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध प्रतिकूल संज्ञान लिये जाने हेतु बाध्य होना पडेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

24/04/2025

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

—: प्रतिकूल प्रविष्टि :—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0– 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन में अगली सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से एक सप्ताह पूर्व अधोहस्ताक्षरी स्तर से प्रति शपथ–पत्र दाखिल कराया जाना था। दिनांक 01.04.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया कि उनके द्वारा उपरोक्त प्रति शपथ–पत्र अधोहस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित न कराते हुये मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया, जिस पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद श्री अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली के इस कृत्य से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष अधोहस्ताक्षरी एवं जिला प्रशासन की छवि प्रभावित हुई। जबकि उपरोक्त आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पृष्ठांकन संख्या–1507/एस0टी0, दिनांक 03.01.2025, मुख्य विकास अधिकारी के पृष्ठांकन संख्या–5397/एस0टी0, दिनांक 07.01.2025 एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पृष्ठांकन संख्या–1254/एल0बी0सी0, दिनांक 15.01.2025 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, शामली को कार्यवाही हेतु आदेशित की गयी थी।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि श्री अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के प्रकरण को अत्यन्त शिथिलता से लेकर मात्र औपचारिक ढंग से लिया गया तथा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन में लापरवाही बरती गई, जिसके लिये श्री अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली को निम्नवत प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जाती है।

> "श्री अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा मा0 एन0जी0टी0 से सन्दर्भित प्रकरण में शिथिलता बरतने, मात्र औपचारिक ढंग से कियान्वित कराने एवं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के लिये इनकी घोर भर्त्सना करते हुये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की जाती है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन इनकी सेवा पुस्तिका में वर्ष 2025–26 के लिये किया जायेगा।"

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांक 29 /मु0वि0अ0/एस0टी0 दिनांक 24–04–2025

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1— अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3— मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
4— अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), शामली।
5— श्री अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली।
6— स्थापना लिपिक, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय, मु0नगर/शामली।
7— व्यक्तिगत पत्रावली।

24/04/2025
(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

—: प्रतिकूल प्रविष्टि :—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या—ओ0ए0— 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन में अगली सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से एक सप्ताह पूर्व अधोहस्ताक्षरी स्तर से प्रति शपथ—पत्र दाखिल कराया जाना था। दिनांक 01.04.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया कि कुंवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा उपरोक्त प्रति शपथ—पत्र अधोहस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित न कराकर मुख्य विकास अधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित कराकर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया, जिस पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी है। मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद कुंवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली के उक्त कृत्य से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष अधोहस्ताक्षरी एवं जिला प्रशासन की छवि प्रभावित हुई। जबकि उपरोक्त आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पृष्ठांकन संख्या—1507/एस0टी0, दिनांक 03.01.2025, मुख्य विकास अधिकारी के पृष्ठांकन संख्या—5397/एस0टी0, दिनांक 07.01.2025 एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पृष्ठांकन संख्या—1254/एल0बी0सी0, दिनांक 15.01.2025 के द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड कार्यालय मु0नगर/शामली को कार्यवाही हेतु आदेशित की गयी थी।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि कुंवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के प्रकरण को अत्यन्त शिथिलता से लेकर मात्र औपचारिक ढंग से लिया गया तथा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन में लापरवाही बरती गई, जिसके लिये कुंवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली को निम्नवत प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जाती है।

> "कुंवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा मा0 एन0जी0टी0 से सन्दर्भित प्रकरण में शिथिलता बरतने, मात्र औपचारिक ढंग से क्रियान्वित कराने एवं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के लिये इनकी घोर भर्त्सना करते हुये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की जाती है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन इनकी सेवा पुस्तिका में वर्ष 2025—26 के लिये किया जायेगा।"

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांक 30 /मु0वि0अ0/एस0टी0 दिनांक 24 -04-2025

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3— मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
4— अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), शामली।
5— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली।
6— कुंवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली — द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी।
7— स्थापना लिपिक, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय, मु0नगर/शामली।
8— व्यक्तिगत पत्रावली।

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

—: प्रतिकूल प्रविष्टि :—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या—ओ0ए0— 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन में अगली सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से एक सप्ताह पूर्व अधोहस्ताक्षरी स्तर से प्रति शपथ—पत्र दाखिल कराया जाना था। दिनांक 01.04.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया कि श्री दिवाकर गहलोत, जे0आर0एफ0, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा उपरोक्त प्रति शपथ—पत्र अधोहस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित न कराकर मुख्य विकास अधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित कराकर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया, जिस पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी है। मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद श्री दिवाकर गहलोत, जे0आर0एफ0, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली के उक्त कृत्य से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष अधोहस्ताक्षरी एवं जिला प्रशासन की छवि प्रभावित हुई। जबकि उपरोक्त आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पृष्ठांकन संख्या—1507/एस0टी0, दिनांक 03.01.2025, मुख्य विकास अधिकारी के पृष्ठांकन संख्या—5397/एस0टी0, दिनांक 07.01.2025 एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पृष्ठांकन संख्या—1254/एल0बी0सी0, दिनांक 15.01.2025 के द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड कार्यालय, मु0नगर/शामली को कार्यवाही हेतु आदेशित की गयी थी।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि श्री दिवाकर गहलोत, जे0आर0एफ0, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के प्रकरण को अत्यन्त शिथिलता से लेकर मात्र औपचारिक ढंग से लिया गया तथा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन में लापरवाही बरती गई, जिसके लिये श्री दिवाकर गहलोत, जे0आर0एफ0, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली को निम्नवत प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जाती है।

> "श्री दिवाकर गहलोत, जे0आर0एफ0, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली द्वारा मा0 एन0जी0टी0 से सन्दर्भित प्रकरण में शिथिलता बरतने, मात्र औपचारिक ढंग से कियान्वित कराने एवं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के लिये इनकी घोर भर्त्सना करते हुये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की जाती है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन इनकी सेवा पुस्तिका में वर्ष 2025—26 के लिये किया जायेगा।"

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांक 31 /मु0वि0अ0/एस0टी0 — दिनांक 24 —04—2025

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3— मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
4— अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), शामली।
5— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली।
6— श्री दिवाकर गहलोत, जे0आर0एफ0, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली — द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी।
7— स्थापना लिपिक, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय, मु0नगर/शामली।
8— व्यक्तिगत पत्रावली।

24/04/2025

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

—: प्रतिकूल प्रविष्टि :—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या—ओ0ए0— 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन में अगली सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से एक सप्ताह पूर्व अधोहस्ताक्षरी स्तर से प्रति शपथ—पत्र दाखिल कराया जाना था। दिनांक 01.04.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया कि उपरोक्त प्रति शपथ—पत्र प्रदूषण विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित न कराते हुये मुख्य विकास अधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित कराकर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया, जिस पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। इसके अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा यह पूछा गया कि नदी को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु क्या प्रयास किये गये। चूंकि नदियों का Custodian ड्रेनेज विभाग है। इसलिए इनको चाहिए था कि स्वयं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से समन्वय स्थापित कर नदी पर हुए अतिक्रमण को नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराये लेकिन इनके द्वारा यह कार्य नही किया गया। साथ ही साथ मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के बावजूद भी इनके द्वारा अतिक्रमण हटवाने के लिए कोई प्रयास नही किया गया। जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी समीक्षा की गयी, इसके उपरान्त ये सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित किये।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि श्री सुधांशु मनोहर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली द्वारा अपने दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति लापरवाह कार्यशैली अपनाई गई तथा निरन्तर अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होने का प्रयास किया गया, जिसके लिये श्री सुधांशु मनोहर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली को निम्नवत प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जाती है:—

> " श्री सुधांशु मनोहर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली द्वारा मा0 एन0जी0टी0 से सन्दर्भित प्रकरण को गम्भीरता से न लिये जाने, निरन्तर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास किये जाने एवं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के लिये इनकी घोर भर्त्सना करते हुये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की जाती है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन इनकी सेवा पुस्तिका में वर्ष 2025—26 के लिये किया जायेगा।"

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांक 28 /मु0वि0अ0/एस0टी0 दिनांक 24 —04—2025

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2— मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
3— अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), शामली।
4— श्री सुधांशु मनोहर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली।
5— स्थापना लिपिक, ड्रेनेज खण्ड कार्यालय, शामली।
6— व्यक्तिगत पत्रावली।

24/04/2025
(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी,
शामली।

Annexure R-2

Email: romuzaffarnagar@uppcb.in Regional Office Tel: 0131-2604300

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
6-B, New Mandi, Muzaffarnagar-251001 (U.P.)

Reference No. 1599/0A No.-201/Amit Kumar (Khokhari)/Shamli/2025

Dated 25-03-2025

To,

Regional Officer
UP Pollution Control
Saharanpur.

Subject- Regarding compliance of order dated 06.12.2024 passed in OA No. 201/2024 Amit Kumar vs State of Uttar Pradesh and others, filed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Sir,

Regarding the above subject, please refer to your letter no. 1101/OA 201/2025 Amit Kumar dated 17.03.2025. In compliance with the order dated 06.12.2024 passed in OA No. 201/2024 Amit Kumar vs State of Uttar Pradesh and others lodged in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, the restoration plan of the seasonal Khokhari river flowing in Shamli district has been sent by the District Magistrate Office Shamli to Director (Technical), NMCG, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Conservation, Government of India, New Delhi through letter no. 450/NGT/OA 201-2024/2025 dated 22.03.2025, a copy of which is being sent to you along with attachments for information and further necessary action.

Enclosure-As above.

Yours sincerely,

(Ankit Singh)
Regional Officer

Copy-

1- Sent to the Chief Law Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Sent to Chief Environmental Officer (Circle-3), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow for information.

Annexure R-3

From,

District Magistrate,
Shamli.

To,

Director (Technical),
NMCG, Ministry of Jal Shakti, Department
Of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation,
Government of India, New Delhi.

letter number: 450 / NGT/OA No. 201/2024/2025 Dated: 22/03/2025

Subject: - Report regarding compliance of order dated 06.12.2024 passed in case no. OA 201/2024 Amit Kumar vs State of Uttar Pradesh and others filed in Hon'ble NGT.

Sir,

Regarding compliance of the order dated 27.08.2024 passed in the case no. OA 201/2024 Amit Kumar vs State of Uttar Pradesh and others filed in the Hon'ble National Green Tribunal, the report sought in accordance with your letter no. L-25012(11)/21/2024-LME NMCG dated 31.01.2025 is as follows - Action plan for restoration of river In district Shamli, Khokhari river starts from village Chausana Jadid falling under development block Un area and passes through villages Chausana. Gurjarpur, Jijaula, Kala Mazra, Kamalpur Nai Nangla Sakauti etc. and merges with Yamuna river in Majra Khwajapura of village Kabirpur. The total length of the river in the district is about 17.84 km.

In compliance with the order of Hon'ble NGT, a joint committee of Deputy District Magistrate, Oon and Block Development Officer, Oon was constituted to rehabilitate the Khokhari River and an action plan was prepared for marking, encroachment and excavation of the river, in which the Block Development Officer, Oon generated a total of 50 MNREGA IDs under the MNREGA scheme for the renovation / excavation work of the river and prepared an estimate of Rs 288.06 as per the following details. In this regard, the Block Development Officer has informed that sufficient number of willing MNREGA workers are not available in these villages and as per the data of MNREGA workers of the year 2024-25 under MNREGA in these villages, the above work is likely to be completed in about 8 years.

S.N	Name of covered	Length of river in village in Km	Average Width of the river in the village	MNREGA estimate amount for River renovation in Rs.	Total MNREGA workers in the village	Numbers of workers who worked in the year 2024-25	MNREGA According to time estimates	Probable period of completion of work by MNREGA workers
1	Bhadi	0.4	22 m	670305	158	1	2828	7 year 74 days
2	Chausana Jadid	3.35	22 m	5165541	233	47	21796	1 year 24 days
3	Chausana	0.09	22 m	187359	420	30	791	1 day
4	Gujarpur	1.32	22 m	2702689	123	12	11404	2-year 60 day
5	Jijaula	3.02	22 m	2337802	266	48	9864	56 days
6	Kabirpur	2.35	22 m	4784255	91	7	20187	8 years
7	Kala Majra	1.03	22 m	1580638	194	11	6670	1 year 66 days
8	Kamlapur	2.41	22 m	4102567	103	22	17311	2 year 60 days
9	Keru	1.2	22 m	2482536	118	25	10475	1 year 14 days
10	Nai Nagla Sakauti	2.67	22 m	4790716	204	46	20214	1 year 20 days
	Total	17.84	22 m	288.04 Lakh	-	-	-	Estimate 8 years

As per the above, the action plan was made available by the Chief Development Officer, Shamli through office letter no. 328/ST dated 30.11.2024, which was sent to the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi. At present, in view of the time taken in getting the above work done by MNREGA, it does not seem appropriate to get this work done by MNREGA. Therefore, in view of the early compliance of the referenced order of the Hon'ble National Green Tribunal, an estimate of the work has been prepared by the development block Unna for getting the excavation work done through mechanization for the

renovation of the Khokhari river, for which an estimate of Rs 564.455 lakh has been provided by the Block Development Officer, which is desirable.

Waste Water Treatment Plan: - The District Panchayat Raj Officer has informed in his report that 16 drains from the Gram Panchayats are falling into the Khokhari river, through which the domestic waste water of the village flows. The District Panchayat Raj Officer has provided an estimate of Rs. 15.874 lakh for the construction of 16 filter chambers and 02 waste stabilization ponds for waste water treatment, which is desirable.

Solid Waste Management: – It has been informed by the District Panchayat Raj Officer that the village situated on the banks of Khokhari river

Construction of RRC (Resource Recovery Centre) Centre has been completed in all the Gram Panchayats namely Chausana Jadid, Chausana, Bhadi, Nai Nangla Sakauti, Kamalpur, Kala Mazra, Kertu, Gurjarpur, Jijaula and Kabirpur under the solid waste management of Swachh Bharat Mission (Rural) Phase-2. In the above Gram Panchayats, door-to-door garbage collection is being done through e-rickshaws and waste segregation is being done at the RRC Centre and along with this, construction of community garbage bins, compost pits, NADEP, plastic bank and vermicompost pits etc. has also been done by identifying community places in these Gram Panchayats.

Removal of encroachment from Khokhari river: - There are only a few permanent constructions in the boundary of Khokhari river in the district, apart from this most of the river area is encroachment free. Encroachment will be removed at the time of digging the river.

Action plan for plantation of trees on Khokhari river: - Divisional Forest Officer has provided an estimated amount of Rs. 112.498 lakh for plantation of trees on the banks of Khokhari river, which is desirable.

As per above, in compliance with the referenced order of Hon'ble National Green Tribunal, for getting the work of renovation of Khokhari river in Shamli district, the cost of excavation work through mechanization will be Rs. 564.455 lakh, cost for waste water treatment will be Rs. 15.874 lakh and cost of tree plantation work will be Rs. 112.498 lakh, thus a total of Rs. 692.827 lakh will be required, for which the proposals for the above works are being approved in the action plan of District Ganga Committee and proposals are being sent to State Clean Ganga Mission, UP, Namami Gange and Rural Water Supply Department, UP, Lucknow for demanding the funds.

The report is respectfully sent for necessary action.

From,

Block Development Officer,
Unn (Shamli)

To,

Chief Development Officer
Shamli

Letter number 5073/Account-MGNREGA/2024-25

Date: 19-3-2025

Sir,

As per the discussion held in the meeting with the village heads in Vikas Bhawan, due to non-availability of required labourers under MNREGA in the villages falling on the route of Khokhari river and due to non-availability of work from village fund, a proposal of Rs. 5,64,45,500.00 has been prepared to get the work done through other implementing agencies. The proposal is being sent to your service for necessary action. Attached - Proposal as above

Sincerely,

Block Development Officer,
Unn (Shamli)

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 201 OF 2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR ...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ...RESPONDENTS

S.N. 443

AFFIDAVIT

I, **VINAY KUMAR TIWARI** aged about 57 years S/o Shri UMA SHANKER TIWARI is presently posted as **CHIEF DEVELOPMENT OFFICER, SHAMLI, UP.** having it so ficeat **SHAMLI.**

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions.

contd......2...

(2)

3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY SATISH KUMAR NOTARY/ADVOCATE TEHSIL SHAMLI REGNO-OP 10733 EXPIRY DATE 2029 INDIAN GOVT. 25/03/25

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Shamli on this day of March 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Sworn before me 25/03/25
The deponent
are identified by Shri Vinay Kumar Tiwari S/o Umashanker Tiwari
have satisfied my self by examining the deponent who understand the contents of the affidavit which has been read out and explained by me to the deponent Fee Charged Rs
R/o Shamli at present.
I.D. by Diwaker dan Gahlot
NOTARY TEH. SHAMLI

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं शपथकर्ता को भली प्रकार से जानता हूँ और शपथकर्ता ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर व अंगूठा लगाया है।

NOTARY SATISH KUMAR NOTARY/ADVOCATE TEHSIL SHAMLI REGNO-OP 10733 EXPIRY DATE INDIAN GOVT.
NOTARIAL NOTARIAL

SATISH KUMAR
NOTARY/ADVOCATE
Tehsil- Shamli
Reg.No -10733
25/03/25

Annexure R-4

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली।

विषय :- खोखरी नदी के जीर्णोद्धार हेतु Restoration Plan के सम्बन्ध में।

पत्रांक 328 /एस0टी0 दिनांक 30/11/2024

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 201/2024 अमित कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 27–08–2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्र सं0 326/एस0टी0 दिनांक 27–11–2024 के द्वारा खोखरी नदी के चिन्हांकन, अतिक्रमण एवं प्राक्कलन गठित कर कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, ऊन एवं खण्ड विकास अधिकारी, ऊन की संयुक्त समिति का गठन किया गया। इसके अनुपालन में तहसीलदार, ऊन एवं खण्ड विकास अधिकारी, ऊन के द्वारा कार्ययोजना/आख्या उपलब्ध कराई गई है।

उक्त कार्ययोजना का सारांश निम्नवत है –

1– खण्ड विकास अधिकारी, ऊन से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त नदी जनपद में विकास खण्ड ऊन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौसाना जदीद से शुरू होकर ग्राम चौसाना, गुर्जरपुर, जिजौला, काला माजरा, कमालपुर, केरटू, नाईनंगला सकौती आदि गांवो से होती हुई ग्राम कबीरपुर के मजरा ख्वाजापुर तक जाती है। उक्त नदी का जीर्णोद्धार मनरेगा से कराये जाने हेतु कुल रू0 288.086 लाख की कुल 50 मनरेगा आई0डी0 जनरेट की गई है।

2– तहसीलदार, ऊन से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील ऊन क्षेत्रान्तर्गत खोखरी नदी के चिन्हांकन एवं अतिकमण मुक्त कराये जाने हेतु नायब तहसीदार ऊन की अध्यक्षता में राजस्व निरीक्षक एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपालों की कमेटी गठित की गई है। तहसील द्वारा नदी के चिन्हांकन एवं अतिकमण मुक्त कराये जाने का कार्य एक सप्ताह में सम्पादित कराया जाना लक्षित है।

3– खण्ड विकास अधिकारी, ऊन के अनुसार नदी के जीर्णोद्धार का कार्य अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

अतः उक्त प्रस्तुत कार्ययोजना की छायाप्रति संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – यथोक्त।

भवदीय,

(मुख्य विकास अधिकारी
शामली।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, मु0नगर/शामली को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी
शामली।

721/ST

ROUPPCB
सहारनपुर /मु0नगर

हेतु आ0 का0 कार्यवाही

30-11-2024

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
ऊन (शामली)

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
शामली

पत्र संख्या 2273 /लेखा–मनरेगा/2024–25 दिनांक –29–11–2024

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या 326/एसटी दिनांक 27.11.2024 में दिये गये निर्देशो के कम में आपको अवगत कराना है । तहसील खोखरी/सिंघली नदी के खुदाई कार्य हेतु आवश्यक चिन्हाकन एवं अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही तहसील द्वारा क्षेत्रीय लेखपालो की टीम ग्रामवार लगायी गयी है तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 2266 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा खोखरी नदी के मार्ग में पडने वाले ग्रामो में सचिव ग्राम पंचायत को ग्रामवार मनरेगा अन्तर्गत कार्य कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है । अवरअभियन्ता लघु सिंचाई एवं तकनीकी सहायक से मनरेगा अन्तर्गत प्राकल्लन तैयार करा लिये गये है। विकास खण्ड ऊन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले ग्रामो में नदी जीर्णोद्वार का कार्य अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित किया गया है ।

मनरेगा अन्तर्गत आईडी जेनरेट करा ली गयी हैं उनकी सूची साथ में संलग्न है ।

भवदीय,
29.11.24
(उमाकान्त मुदगल)
खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी महोदय, शामली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)

Scanned with CamScanner

9	UN	Kabeerpur	1.2 कि0मी0	22 मी0	3114001067/FP/958486255823580697	6.20634
					3114001067/FP/958486255823580698	6.20634
					3114001067/FP/958486255823580699	6.20634
					3114001067/FP/958486255823580700	6.20634
					कुल आई0डी0—04	कुल—24.82536
10	UN	Nai Nagla (Sakoti)	2.67 कि0मी0	22 मी0	3114001033/FP/958486255823580612	3.7382
					3114001033/FP/958486255823580613	7.20305
					3114001033/FP/958486255823580614	7.20305
					3114001033/FP/958486255823580615	1.43356
					3114001033/FP/958486255823580617	7.42717
					3114001033/FP/958486255823580619	3.7382
					3114001033/FP/958486255823580620	4.55087
					3114001033/FP/958486255823580622	3.7382
					3114001033/FP/958486255823580624	4.67051
					3114001033/FP/958486255823580625	4.20435
					कुल आई0डी0—10	कुल— 47.90716

29.11.24

खण्ड विकास अधिकारी
ऊन-शामली

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार ऊन (शामली)

संख्याः—523/र0का0 दिनांकः—28.11.2024

विषयः— खोखरी/सिंधली नदी के जीर्णोद्धारा हेतु कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

आदेश

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकरी शामली के पत्र संख्या 326/एस0 टी0 दिनांक 27.11.2024 के अन्तर्गत खोखरी/सिंधली नदी के खुदाई कार्य हेतु आवश्यक चिन्हाकन एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु राजस्व एवं ग्राम्य विकास विकास विभाग की समिति का गठन करते हुए, खोखरी नदी के चिन्हांकन एवं अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपजिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तहसील ऊन क्षेत्रान्तर्गत खोखरी नदी के चिन्हाकन एवं नदी अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने हेतु नायब तहसीलदार ऊन (श्री सतीश यादव 9411270200) की अध्यक्षता में निम्नानुसार टीम गठित की जाती है तथा सभी को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह में उक्त कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0	गांव का नाम	क्षेत्रीय. लेखपाल	प्रभारी
01	चौसाना जदीद	श्री नगेन्द्र शर्मा, 9412868082	श्री विनोद कुमार राजस्व निरीक्षक झिंझाना तहसील ऊन
02	चौसाना बि0 अ0	श्री अमरपाल, 9927183919	
03	भड़ी मुस्तफाबाद	श्री अश्वनी कुमार, 9456963063	
04	सकौती, कमालपुर,गुर्जरपुर,	श्री अजीत सिंह, 963927720	
05	अजीजपुर, कमालपुर, जलालपुर, केरटू	श्री अशोक कुमार, 9756925345	

तहसीलदार
ऊन

प्रतिलिपिः—

1.जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2.मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

3.उपजिलाधिकारी महोदया ऊन की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4.खण्ड विकास अधिकारी ऊन की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5.उपायुक्त श्रम रोजगार शामली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तहसीलदार
ऊन

Scanned with CamScanner

Annexure R-5

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
ऊन (शामली)

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
शामली

पत्र संख्या 5073/लेखा–मनरेगा/2024–25 दिनांक – 19–3–2025

महोदय,

विकास भवन में ग्राम प्रधानो के साथ बैठक में हुई वार्ता के कम में खोखरी नदी के मार्ग मे पडने वाले ग्रामो में मनरेगा अन्तर्गत अपेक्षित श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण और ग्राम निधि से कराया जाना सम्भव न होने के फलस्वरूप अन्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु 56445500.00 का प्राकल्लन तैयार हुआ है । प्राकल्लन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार प्राकल्लन

भवदीय,

खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)

ST
19/3/2025

MODEL ESTIMATE

DISTRICT - SHAMLI
FINANCIAL YEAR
2024-25

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

NAME OF DISTRICT - SHAMLI

NAME OF BLOCK - Oon

NAME OF VILL -

1	BHADI	.40Km
2	CHAUSANA JADEED	3.35 Km
3	CHOSHANA	.09Km
4	GURJARPUR	1.32Km
5	JIJOLA	3.02Km
6	KABEERPUR	2.35Km
7	KALA MAJRA	1.03Km
8	KAMALPUR	2.41Km
9	KERTU	1.20Km
10	NAINAGLA SAKOTI	2.67Km

ESTIMATED COST - 56445500.00 Lakh

S.N.	NAME OF OFFICER	DESIGNATION
1	Shri. Umakant Mudgal	B D O . OON
3	Er. Amit Kumar	JUNIOR ENGINEER

CERTIFICATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

1- Certified that the rate has been provided as per current on PWD schedule of rate.

2- Certified that the distance has been shown in the estimate is correct to the best of my knowledge.

3- Certified that the rate which are not available in schedule of rate, has been obtained at minimum market rate.

4- This project is not sanctioned in any other scheme.

SPECIFICATION

All work shall been executed as per standerd specification of U.P. PWD schedule of rate and as per direction of engineer in charge of work or site.

J E
OON

B.D.O
OON

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LAHEL	QTY
1	0	TO	100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
2	100	TO	200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
3	200	TO	300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
4	300	TO	400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
5	400	TO	500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
6	500	TO	600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
7	600	TO	700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
8	700	TO	800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
9	800	TO	900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
10	900	TO	1000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
11	1000	TO	1100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
12	1100	TO	1200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
13	1200	TO	1300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
14	1300	TO	1400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
15	1400	TO	1500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
16	1500	TO	1600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
17	1600	TO	1700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
18	1700	TO	1800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
19	1800	TO	1900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
20	1900	TO	2000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
21	2000	TO	2100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
22	2100	TO	2200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
23	2200	TO	2300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
24	2300	TO	2400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
25	2400	TO	2500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
26	2500	TO	2600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
27	2600	TO	2700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
28	2700	TO	2800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
29	2800	TO	2900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
30	2900	TO	3000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
31	3000	TO	3100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
32	3100	TO	3200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
33	3200	TO	3300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
34	3300	TO	3400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
35	3400	TO	3500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
36	3500	TO	3600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
37	3600	TO	3700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
38	3700	TO	3800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
39	3800	TO	3900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
40	3900	TO	4000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
41	4000	TO	4100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
42	4100	TO	4200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
43	4200	TO	4300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
44	4300	TO	4400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
45	4400	TO	4500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LAHEL	QTY
46	4500	TO	4600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
47	4600	TO	4700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
48	4700	TO	4800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
49	4800	TO	4900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
50	4900	TO	5000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
51	5000	TO	5100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
52	5100	TO	5200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
53	5200	TO	5300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
54	5300	TO	5400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
55	5400	TO	5500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
56	5500	TO	5600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
57	5600	TO	5700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
58	5700	TO	5800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
59	5800	TO	5900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
60	5900	TO	6000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
61	6000	TO	6100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
62	6100	TO	6200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
63	6200	TO	6300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
64	6300	TO	6400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
65	6400	TO	6500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
66	6500	TO	6600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
67	6600	TO	6700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
68	6700	TO	6800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
69	6800	TO	6900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
70	6900	TO	7000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
71	7000	TO	7100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
72	7100	TO	7200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
73	7200	TO	7300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
74	7300	TO	7400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
75	7400	TO	7500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
76	7500	TO	7600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
77	7600	TO	7700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
78	7700	TO	7800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
79	7800	TO	7900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
80	7900	TO	8000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
81	8000	TO	8100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
82	8100	TO	8200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
83	8200	TO	8300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
84	8300	TO	8400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
85	8400	TO	8500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
86	8500	TO	8600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
87	8600	TO	8700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
88	8700	TO	8800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
89	8800	TO	8900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
90	8900	TO	9000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
91	9000	TO	9100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
92	9100	TO	9200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
93	9200	TO	9300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
94	9300	TO	9400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
95	9400	TO	9500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
96	9500	TO	9600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
97	9600	TO	9700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
98	9700	TO	9800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
99	9800	TO	9900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
100	9900	TO	10000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
101	10000	TO	10100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
102	10100	TO	10200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
103	10200	TO	10300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
104	10300	TO	10400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
105	10400	TO	10500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
106	10500	TO	10600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
107	10600	TO	10700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
108	10700	TO	10800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
109	10800	TO	10900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
110	10900	TO	11000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LABEL	QTY
111	11000	TO	11100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
112	11100	TO	11200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
113	11200	TO	11300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
114	11300	TO	11400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
115	11400	TO	11500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
116	11500	TO	11600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
117	11600	TO	11700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
118	11700	TO	11800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
119	11800	TO	11900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
120	11900	TO	12000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
121	12000	TO	12100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
122	12100	TO	12200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
123	12200	TO	12300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
124	12300	TO	12400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
125	12400	TO	12500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
126	12500	TO	12600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
127	12600	TO	12700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
128	12700	TO	12800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
129	12800	TO	12900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
130	12900	TO	13000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
131	13000	TO	13100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
132	13100	TO	13200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
133	13200	TO	13300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
134	13300	TO	13400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
135	13400	TO	13500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
136	13500	TO	13600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
137	13600	TO	13700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
138	13700	TO	13800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
139	13800	TO	13900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
140	13900	TO	14000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
141	14000	TO	14100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
142	14100	TO	14200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
143	14200	TO	14300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
144	14300	TO	14400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
145	14400	TO	14500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
146	14500	TO	14600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
147	14600	TO	14700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
148	14700	TO	14800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
149	14800	TO	14900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
150	14900	TO	15000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
151	15000	TO	15100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
152	15100	TO	15200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
153	15200	TO	15300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
154	15300	TO	15400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
155	15400	TO	15500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
156	15500	TO	15600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
157	15600	TO	15700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
158	15700	TO	15800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
159	15800	TO	15900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
160	15900	TO	16000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
161	16000	TO	16100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
162	16100	TO	16200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
163	16200	TO	16300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
164	16300	TO	16400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
165	16400	TO	16500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
166	16500	TO	16600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
167	16600	TO	16700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
168	16700	TO	16800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
169	16800	TO	16900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
170	16900	TO	17000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
171	17000	TO	17100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
172	17100	TO	17200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
173	17200	TO	17300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
174	17300	TO	17400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
175	17400	TO	17500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LAHEL	QTY
176	17500	TO	17600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
177	17600	TO	17700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
178	17700	TO	17800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
179	17800	TO	17900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
180	17900	TO	18000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
181	18000	TO	18100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
182	18100	TO	18200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
183	18200	TO	18300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
184	18300	TO	18400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
185	18400	TO	18500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
186	18500	TO	18600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
187	18600	TO	18700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
								0.00	0.00
TOTAL QUANTITY OF EARTH WORK								89760.00	448800.00

						=	448800.00	CUM
DEDUCTION	=	-0.5	18700.00	3.00	0.75		-21037.50	CUM
TOTAL EARTH WORK	=						427762.50	CUM

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

BUND ADJUSTMENT EARTH

PERIMETER OF BUND	=	18700.00	MTR
BOTTOM WIDTH OF BUND	=	3.00	MTR
TOP WIDTH OF BUND	=	1.00	MTR
HEIGHT OF BUND	=	1.50	MTR
BERM	=	1.00	MTR
SIDE SLOPE OF BUND	=	1;1	
EXCAVATED EARTH	=	427762.50	CUM
QUANTITY OF EARTH IN BUND	=	112200.00	CUM
SLUSE QTY	=	89760.00	CUM
REMAINING QUANTITY OF SOIL	=	225802.50	CUM

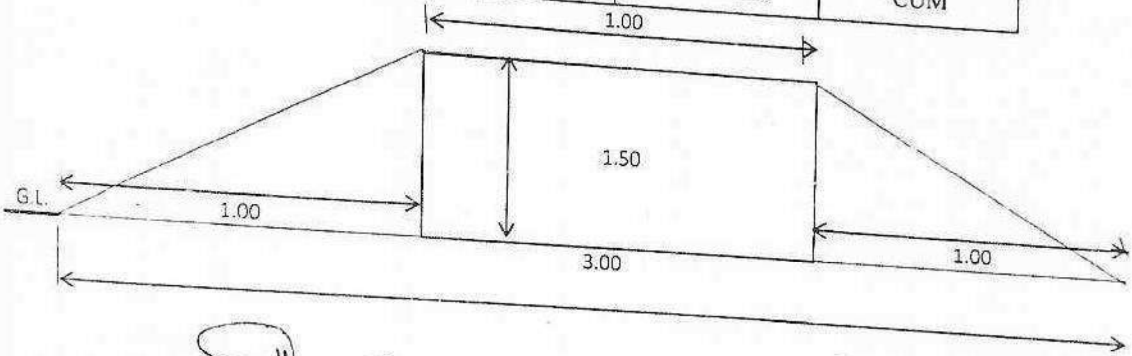

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

Abstract of Cost

em no	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	EARTH WORK IN EXCAVATION BY POCCLAIN M/C AND TRANSPORTATION DONE BY TRACTOR WITH TROLLY PER CUM (SE MI)	427762.50	Cum	105.00	₹ 44,915,062.50
2	EXTRA FOR SLUSH AND LAHEL FOR EARTH WORK. (IRRI- CH-V-10)	89760.00	Cum	51.50	₹ 4,622,640.00
3	DRESSING EARTH WORK ON BUND (100%)	112200.00	Cum	6.44	₹ 722,568.00
4	DEWATERING BY PUMP (SE MI)	500.00	Hrs.	240.00	₹ 120,000.00
			Total		₹ 50,380,270.50

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

Item No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
A	MISCELLANEOUS WORK				
1	PHOTO GRAPHY BEFOR AND DURING THE WORK	1	JOB	5000	₹ 5,000.00
2	SUPPLY AND FIXING OF SIGN BOARD	1	JOB	7500	₹ 7,500.00
3	COLOUR WASH AND WRITING SLOGAN	1	JOB	5000	₹ 5,000.00
				TOTAL	₹ 17,500.00

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

SUMMARY OF COST

S. N.	PARTICULAR OF ITEM	AMOUNT
1	COST OF EARTH WORK EXCAVATION	₹ 50,380,270.50
6	MISCELLANEOUS WORK	₹ 17,500.00
	TOTAL	**₹ 50,397,770.50**

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

SUMMARY OF PROJECT COST

S. No.	PARTICULAR OF ITEM	AMOUNT
1	COST OF WORK	₹ 50,397,770.50
2	ADD G S T 12% ON A	₹ 6,047,732.46
3	Total	₹ 56,445,502.96
	OR SAY	₹ 56,445,500.00

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

Annexure-R6

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
शामली।

पत्रांक 105 /पं0/एन0जी0टी0/2025–26 दिनांकः 11/04/2025

विषयः जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायतों– चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर खोखरी नदी में गिरने वाले नालों पर फिल्टर चैम्बर, तथा वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि, जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन, की ग्राम पंचायतों में यथा–चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर से 16 नाले खोखरी नदी में गिरे हुए है, जिनमें गांव का घरेलू वेस्ट वॉटर प्रवाहित होता है। वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट हेतु उक्त नालों पर 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें सम्पूर्ण कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि, उक्त को पूर्ण कराये जाने हेतु लगभग रू0 15.874 लांख की आवश्यकता होगी।

अतः उक्त प्रस्ताव महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(संदीप अग्रवाल)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

पत्रांक एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक (तकनीकी) महोदय, एन0एम0सी0जी0, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरक्षंण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– जिलाधिकारी महोदय, शामली।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
शामली।

पत्रांक 106 /पं0/एन0जी0टी0/2025–26 दिनांकः 11/04/2025

विषयः जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायतों– चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरट्टू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर खोखरी नदी में गिरने वाले नालों पर फिल्टर चैम्बर, तथा वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि, जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायतों में यथा–चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरट्टू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर से 16 नाले खोखरी नदी में गिरे हुए है, जिनमें गांव का घरेलू वेस्ट वॉटर प्रवाहित होता है। वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट हेतु उक्त नालों पर 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराया जाना है। जिसमें सम्पूर्ण कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि, उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रांक्कल तैयार कराया गया है, जिसमें उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु लगभग रू0 15.874 लांख आवश्यकता होगी, जिसका प्रांक्कलन महोदय की सेवा में पूर्व ही प्रेषित किया जा चुका है। उक्त कार्य को मनरेगा मजदूरो के माध्यम से लगभग 45 दिवसों में पूर्ण कराया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि, ग्राम पंचायतें यथा–चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरट्टू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर में 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि 15.874 लांख जनपद को आंवटित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संदीप अग्रवाल)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

पत्रांक एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक (तकनीकी) महोदय, एन0एम0सी0जी0, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरक्षंण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– जिलाधिकारी महोदय, शामली।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
शामली।

पत्रांक 105 /पं0/एन0जी0टी0/2025–26 दिनांकः 11/04/2025

विषयः जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायतों– चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर खोखरी नदी में गिरने वाले नालों पर फिल्टर चैम्बर, तथा वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि, जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायतों में यथा–चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर से 16 नाले खोखरी नदी में गिरे हुए है, जिनमें गांव का घरेलू वेस्ट वॉटर प्रवाहित होता है। वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट हेतु उक्त नालों पर 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें सम्पूर्ण कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि, उक्त को पूर्ण कराये जाने हेतु लगभग रू0 15.874 लांख की आवश्यकता होगी।

अतः उक्त प्रस्ताव महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(संदीप अग्रवाल)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

पत्रांक एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक (तकनीकी) महोदय, एन0एम0सी0जी0, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरक्षंण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– जिलाधिकारी महोदय, शामली।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
शामली।

पत्रांक 106 /पं0/एन0जी0टी0/2025–26 दिनांकः 11/04/2025

विषयः जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायतों– चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर खोखरी नदी में गिरने वाले नालों पर फिल्टर चैम्बर, तथा वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि, जनपद–शामली के विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायतों में यथा–चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर से 16 नाले खोखरी नदी में गिरे हुए है, जिनमें गांव का घरेलू वेस्ट वॉटर प्रवाहित होता है। वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट हेतु उक्त नालों पर 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कराया जाना है। जिसमें सम्पूर्ण कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि, उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रांक्कल तैयार कराया गया है, जिसमें उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु लगभग रू0 15.874 लांख आवश्यकता होगी, जिसका प्रांक्कलन महोदय की सेवा में पूर्व ही प्रेषित किया जा चुका है। उक्त कार्य को मनरेगा मजदूरो के माध्यम से लगभग 45 दिवसों में पूर्ण कराया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि, ग्राम पंचायतें यथा–चौसाना जदीद, चौसाना, भडी, नाई नंगला सकौती, कमालपुर, काला माजरा, केरटू, गुर्जरपुर, जिजौला एवं कबीरपुर में 16 फिल्टर चैम्बर तथा 02 वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि 15.874 लांख जनपद को आंवटित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संदीप. अग्रवाल)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

पत्रांक एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक (तकनीकी) महोदय, एन0एम0सी0जी0, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरक्षंण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– जिलाधिकारी महोदय, शामली।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी/SDM
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :शामली,तहसील :ऊन
वाद संख्या :-2701/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202509720702701
सरकार बनाम राजेश आदि
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09–04–2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पांच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04–07–2024 को एवं दिनांक 10–07–2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के संरेखन में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चौसाना के अन्तर्गत का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुर्नजीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का का अनुरोध किया गया।

इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन व जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09–04–2025 के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चूंकि उक्त क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तथा उक्तानुसार उपरोक्त खोखरी नदी पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में धारा 152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मैं निधि भारद्वाज, उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली, जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर के आख्या दिनांक 09–04–2025 से सहमत होते हुए विपक्षी–राजेश पुत्र टनक, महीपाल पुत्र जगबीरा, संजीव पुत्र महीपाल, प्रमोद पुत्र बिन्दर, घसीटू पुत्र विशम्बर, विनोद पुत्र विशम्बर, अतरा पुत्र सोहनलाल समस्त निवासीगण ग्राम चौसाना, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली को निर्देश देती हूँ कि आपके द्वारा खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटा दें अथवा दिनांक 19–04–2025 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मौखिक/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करें और कारण बतायें, क्यों न इस आदेश को अन्तिम कर दिया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 11–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया गया।

(निधि भारद्वाज)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

प्रतिलिपि–प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराकर नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट शामली
उपजिला मजिस्ट्रेट ऊन

आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी/SDM
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :शामली,तहसील :ऊन
वाद संख्या :-2700/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202509720702700
सरकार बनाम हरेन्द्र आदि
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पांच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04-07-2024 को एवं दिनांक 10-07-2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के संरेखन में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चौसाना के अन्तर्गत का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुर्नजीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का का अनुरोध किया गया।

इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन व जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09-04-2025 के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चूंकि उक्त क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तथा उक्तानुसार उपरोक्त खोखरी नदी पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में धारा 152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मैं निधि भारद्वाज, उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली, जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर के आख्या दिनांक 09-04-2025 से सहमत होते हुए विपक्षी-हरेन्द्र पुत्र जिले सिंह, मोहित पुत्र चन्द्रपाल सिंह, सचिन कुमार पुत्र शिवकुमार, रामकुमार पुत्र कालाराम, मांगेराम पुत्र जिले सिंह, निर्मल पुत्र सीताराम, वेदपाल पुत्र सरजीत, तेजपाल व रामशरण पुत्रगण केशोराम, सुक्रमपाल पुत्र बलजीत, रामपाल पुत्र हरी सिंह, अमित पुत्र ईसम सिंह, लाभ सिंह पुत्र बलजीत, राजेन्द्र पुत्र पुन्ना सिंह, रामफल पुत्र धर्मवीर सिंह, मांगेराम पुत्र सुवा, रामशरण पुत्र सहेन्दर सिंह, भगवान सिंह पुत्र सहेन्दर सिंह, फूल कुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, शिवकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, रामकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, चन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह, रवि पुत्र राजपाल, नौशाद पुत्र बाबू, राजबीर पुत्र खिलारी, देशपाल पुत्र राजपाल, अरूण पुत्र पीतम सिंह, विकास पुत्र हरी सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सकौती, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली को निर्देश देती हूँ कि आपके द्वारा खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटा दें अथवा दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मौखिक/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करें और कारण बतायें, क्यों न इस आदेश को अन्तिम कर दिया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 11-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया गया।

(निधि भारद्वाज)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

प्रतिलिपि-प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराकर नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

उपजिलाधिकारी ऊन जिला मजिस्ट्रेट शामली
उपजिला मजिस्ट्रेट ऊन

Annexure-R-7

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

पत्रांक 1912 /14-1, शामली, दिनांक 19-03-2025।

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय
शामली।

विषयः– निदेशक (तकनीकी)एन0एम0सी0जी0 द्वारा वी0सी0 दिनांक 18.12.2024 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।

सन्दर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक सं–5549/ओ0ए0नं0–201/अमित कुमार/2024, दिनांक–25.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन खोखरी नदी जीर्णोद्धार रिट संख्या–201/2024 के क्रम में रिपोर्ट दाखिल करने हेतु वृक्षारोपण कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये थें। जिसके क्रम में शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा कार्य तैयार कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अग्रिम मृदा कार्य	9415945.00
वृक्षारोपण कार्य	680298.00
प्रथम अनुरक्षण कार्य	618270.00
द्वितीय अनुरक्षण कार्य	268447.00
तृतीय अनुरक्षण कार्य	266915.00
योग	11249875.00

संलग्नक– विस्तृत प्राक्कलन।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष 2024–25					
जनपद शामली के अन्तर्गत खोखरी नदी के किनारे अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्राक्कलन प्रथम चरण					
जनपद का नाम		शामली			
			जी.पी.एस. रीडिंग	N 29.623466 E 77.142981	
भूमि का प्रकार		ऊसर			
गढ्ढो की संख्या		9375 ✓		क्षेत्रफल हे0 में	
क0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य	प्रति हे0	15.0	109.85	1647.75
2	मृदा परीक्षण	प्रति हे0	15.0	234.00	3510.00
3	रोपण क्षेत्र का सफाई कार्य	प्रति हे0	15.0	251.00	3765.00
4	रेखाकन/मृदा कार्य	प्रति गडढा	9375	0.46	4312.50
5	गडढा खुदान कार्य ऊसर भूमि साईज (0.60×0.60×0.60 मध्य में 0.80×0.15 मी0) अर्थ ओगर द्वारा गडढा खुदान कार्य	प्रति गडढा	9375	16.71	156656.25
6	थेली पौध क्रय	प्रति पौध	9375	150.00	1406250.00
7	जिप्सम क्रय मय ढुलान	प्रति गडढा	9375	8.00	75000.00
8	फेसिंग पोल (आर0सी0सी0)	प्रति खम्बा	10300	300.00	3090000.00
9	फेसिंग हेतु गडढा खुदान (0.45X0.45X0.45)	प्रति गडढा	10300	14.88	153264.00
10	ग्राउटिंग	प्रति खम्बा	10300	300.00	3090000.00
11	फेसिग तार क्रय	प्रति क्विंटल	128.52	9500.00	1220940.00
12	तार फैलाना/बांधना	प्रति रनिंग मी0	90000	1.14	102600.00
13	वृक्षारोपण बोर्ड	ल0स0	1	8000.00	8000.00
14	अन्य आवश्यक वानिकी कार्यो पर व्यय, पतलातार क्रय, स्टीपुल्स आदि	ल0स0			100000.00
				योग:–	9415945.50

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Scanned with OKEN Scanner

जनपद शामली के अन्तर्गत खोखरी नदी के किनारे वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2025-26

द्वितीय चरण (N 29.623466 E 77.14298)

जनपद का नाम- शामली

क्षेत्रफल 15.0 हे0

रोपित पौध संख्या-9375 | भूमि का प्रकार-ऊसर

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनु0दर
1	2	3	4	5	6	7
1	गडढा भरान कार्य (0.45×0.45×0.45 मध्य में 0.80×0.15 मी0)	प्रति गडढा	9375	2.63	24656.25	5.3.1
2	पौध दुलान (01 किमी0 से0 20 किमी0 तक)[3 प्रतिशत अति.]	प्रति गडढा	9656	1.55	14966.80	9.1
3	पौध रोपण (छोटी थैली पौध मय सिचाई मय थावला बनवाई)	प्रति पौध	9375	5.72	53625.00	10.1.2
4	पौधों की सिचाई हेतु नालियां बनाना	प्रति हे0	15	5052.00	75780.00	4.13
5	निराई गुडाई कार्य 06 बार	प्रति पौध	56250	1.60	90000.00	11.1.1
6	पौधों की सिंचाई कार्य 06 बार	प्रति पौध	56250	1.15	64687.50	14.1.1
7	पौधों की थावलाबन्दी कार्य दो बार	प्रति पौध	18750	1.03	19312.50	12
8	02 सुरक्षा हेतु श्रमिक/वाचर (312X2)	ल0स0	624	230.00	143520.00	-
9	पौधों में स्टिक लगवाई	ल0स0	9375	10.00	93750.00	
10	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	ल0स0	0	0	100000.00	-
				योग	680298.05	

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

वर्ष 2026–27

जनपद शामली के अन्तर्गत खोखरी नदी के किनारे प्रथम अनुरक्षण कार्य तृतीय चरण

			जी.पी.एस. रीडिंग		N 29.62346	E 77.1429
पौध संख्या		15000		भूमि का प्रकार		ऊसर
				क्षेत्रफल हे0में		6.0
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1	असफल गडढों की मिटटी ढीली करना	प्रति पौध	1875	4.23	7931.25	18.1
2	बिटिंग अप कार्य हेतु पौधों का ढुलान दूरी किमी0 01 से 20 तक	प्रति पौध	1875	.1.55	2906.25	9.1
3	पौधरापण हेतु पौध क्रय	प्रति पौध	1875	150.00	281250.00	
4	पौध रोपण छोटी थैली	प्रति पौध	1875	5.52	10350.00	18 2.2
5	निराई गुडाई 06 बार	प्रति पौध	56250	1.60	90000.00	11.1.1
6	सिचाई 06 बार	प्रति पौध	56250	1.15	64687.50	14.1.1
7	02 सुरक्षा हेतु श्रमिक/वाचर (312X2)	प्रति दिन	624	230.00	143520.00	–
8	अन्य आवश्यक व्यय (फोटो कापी एवं औजार मरम्मत आदि पर व्यय)	ल0स0	–	–	17625.00	–
				योगः–	618270.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

वर्ष 2027—28

जनपद शामली के अन्तर्गत खोखरी नदी के किनारे द्वितीय अनुरक्षण कार्य चतुर्थ चरण

			जी.पी.एस. रीडिंग		N 29.62346	E 77.1429
पौध संख्या		15000		भूमि का प्रकार		ऊसर
				क्षेत्रफल हे0में		6.0
क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1	निराई गुडाई तीन बार	प्रति पौध	28125	1.60	45000.00	11.1.1
2	सिंचाई 06 बार	प्रति पौध	56250	1.15	64687.50	14.1.1
3	02 सुरक्षा हेतु वाचर (312X2)	प्रति दिन	624	230.00	143520.00	–
4	अन्य आवश्यक व्यय (फोटो कापी एव औजार मरम्मत आदि पर व्यय)	ल0स0	–	–	15240.00	–
				योग:—	268447.50	

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-R-8

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांक : 194/OA 201/अमित कुमार/शामली/2025 दिनांक : 21/05/2025

महत्वपूर्ण / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

1– जिला वनाधिकारी, शामली।
2– उपजिलाधिकारी–ऊन, शामली।
3– जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।
4– अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)।
5– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊन, शामली।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

"8................ complete information in respect to the aspects mentioned in the orders passed by this Tribunal and also the report of UPPCB particularly removal of encroachments, approval of the Competent Authority for the Project, budgetary allocations of funds and allocation and execution of the work orders."

अग्रेतर, मा0 अधिकरण द्वारा उक्त वाद में अपने आदेश दिनांक 01.04.2025 में निम्नवत् आदेशित किया गया है :–

"6. .... We grant four weeks' time to District Magistrate, Shamli to file the reply keeping in view the observations made in the previous orders."

उक्त वाद में अधोहस्ताक्षरी की ओर से शपथ–पत्र के माध्यम से आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में खोखरी नदी के रेस्टोरेशन प्लान तैयार किये जाने हेतु पूर्व में दी गयी सूचनाओं एवं कार्यवाही की आख्या को अपडेट करते हुए अद्यतन विभागीय सूचनायें एवं कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर/शामली की ई–मेल ***romuzaffarnagar@uppcb.in*** पर अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि ससमय अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

21/05/25

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर/शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना संकलित करते हुए अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें।

21/05/25

जिलाधिकारी
शामली।

D/Neeraj Mittal/Letter 2025

461 Annexure- R9(colly)

कार्यालय उप जिलाधिकारी ऊन, जनपद—शामली

संख्या1257/एस0टी दिनांक—12.04.2025

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित OA संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

जिलाधिकारी
शामली।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 मे योजित OA संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के अनुपालन के सम्बंध क्रम मे तहसील ऊन के अर्न्तगत स्थित ग्राम चौसाना जदीद, चौसाना बिला अह0, अलीपुरा, भडी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर, कालामाजरा, जलालपुर व केरटू मे स्थित खोखरी नदी के सम्बन्ध में तहसील स्तरीय बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है—

1— खोखरी नदी का प्रचलित नाम व प्रवाह क्षेत्र—

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व टीम द्वारा उपरोक्त वर्णित ग्रामो मे आम बोलचाल की भाषा मे प्रचलित खोखरी नदी का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के सापेक्ष यह पाया गया कि प्रत्येक ग्राम के राजस्व अभिलेखो मे नदी की नौय्यत भिन्न—भिन्न दर्ज है, जिसे आख्या के अर्न्तगत वर्णित तालिका के कॉलम 5 व 8 मे दिया गया है। खोखरी नदी का उद्‌गम स्थान मूल रूप से जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड के ग्राम बिशनपुर मे है, उक्त वर्णित नदी जनपद शामली की सीमा मे तहसील ऊन के ग्राम चौसाना जदीद के खसरा सं0 849 मे प्रविष्ट होती है तथा अन्य ग्राम क्रमशः चौसाना बिला अह0, अलीपुरा, भडी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर, कालामाजरा, जलालपुर व केरटू से होते हुए पुनः ग्राम जलालपुर के खसरा सं0 202 से होते हुए यमुना नदी मे विलुप्त हो जाती है। उपरोक्त सभी ग्रामो मे खोखरी के प्रवाह की खसरावार सूचना तालिका के कॉलम 3 व 6 मे दी गयी है।

2— खोखरी नदी की चौडाई/गहराई राजस्व रिकार्ड/स्थलीय निरीक्षण मे पाये अतिक्रमण की स्थित —

राजस्व रिकार्ड की जांच व भूचित्र के अनुसार आख्या तैयार किये जाने हेतु राजस्व टीम का गठन किया गया तथा इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त व वर्तमान राजस्व अभिलेखो की जांच कराई गयी, प्राप्त जांच आख्या के आधार पर तहसील ऊन के ग्राम अलीपुरा मे खोखरी नदी का प्रवाह निरन्तर न होते हुए प्रवाह के बीच मे राजस्व अभिलेखो के अनुरूप खसरा सं0 23 संक्रमणीय भूमिधर की भूमि स्थित पायी गयी, खसरा सं0 23 के जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 की प्रति प्रमाण स्वरूप साथ मे संलग्न है। ग्राम अलीपुरा के खसरा सं0 23 के बाद पुनः नदी खसरा सं0 19 से अभिलेख अनुरूप आरम्भ हो जाती है। नदी के स्थलीय निरीक्षण के समय पाया गया कि नदी मे जल प्रवाह न होने के कारण आस—पास के कृषको द्वारा कृषि रूप मे अस्थाई रूप से कब्जे किये हुए थे, जिनमे

से अधिकांश अस्थाई कब्जो को हटवा दिया गया है, शेष अस्थाई कब्जे को हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है व दो ग्राम चौसाना जदीद व सकौती मे अवैध स्थाई कब्जे पाये गये जिनके विरूद्व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत न्यायालय उपजिलाधिकारी ऊन मे वाद सं0 टी20209720702701 सरकार बनाम राजेश आदि व वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि योजित है, जिसमे मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशो के क्रम मे त्वरित सुनवाई कर वादो का निस्तारण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त वादो में अग्रिम दिनांक 19.04.2025 नियत है।

राजस्व रिकार्ड के अनुसार नदी की लम्बाई, चौडाई के सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा तैयार की गई सूची निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	बन्दोबस्त के अनुसार खसरा सं0	रकबा (हे0 मे)	नौईयत	वर्तमान खसरा संख्या	रकबा (हे0 मे)	नौईयत	लम्बाई (मी0 मे)	औसत चौडाई (मी0 मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चौसाना जदीद	840	1.598	नदी	840	1.598	नदी	505	18
	,,	841	0.113	नदी	841	0.113	नदी	70	12
	,,	848	0.205	नदी	848	0.205	नदी	80	27
	,,	849	1.372	नदी	849	1.372	नदी	406	31
	,,	1181	3.704	नदी	1181	3.704	नदी	1370	12
	,,	1356	1.331	नदी	1356	1.331	नदी	850	22
	,,	1659	1.075	नदी	1659	1.075	नदी	719	22
2	चौसाना बिला अह0	899	0.318	नदी	899	0.318	नदी	106	27
3	अलीपुरा	19	0.123	नदी	19ग	0.123	नदी	224	5
	,,	23मि	0.126	काश्तकार	23मि	0.126	काश्तकार	550	25
	,,	23मि	0.020	काश्तकार	23मि	0.020	काश्तकार		
	,,	23मि	0.128	काश्तकार	23मि	0.128	काश्तकार		
	,,	23मि	1.044	काश्तकार	23मि	1.044	काश्तकार		
	,,	23मि	0.287	काश्तकार	23मि	0.287	काश्तकार		
	,,	35	3.555	नदी	35क	3.555	नदी	1017	34
	,,	107	4.664	नदी	107	4.664	नदी	1750	27
4	भडी	339	1.578	नदी	339ख	1.578	नदी	1500	17
	,,	338	0.031	नदी	338	0.031	नदी	60	5
5	मुस्तुफाबाद	151	1.501	नाला	151	1.501	नाला	300	50
	,,	168	1.771	नाला	168	1.771	नाला	410	43
6	सकौती	56	4.383	नाला	56	4.383	नाला	962	45
	,,	164	4.194	नाला	164	4.194	नाला	994	42
	,,	315	2.797	नाला	315	2.797	नाला	461	60
	,,	384	0.031	नाला	384	0.031	नाला	67	4.5
	,,	402	1.196	नाला	402	1.196	नाला	360	33
	,,	444	0.179	नाला	444	0.179	नाला	172	10
	,,	445क	0.328	नाला	445क	0.328	नाला	208	16
	,,	446	0.277	नाला	446	0.277	नाला	167	16

	,,	449ख	0.287	नाला	449ख	0.287	नाला	217	13
	,,	450	0.195	नाला	450	0.195	नाला	203	9.5
	,,	445ख	0.061	नाला	445ख	0.061	नाला	208	3
	,,	448	0.072	नाला	448	0.072	नाला	50	14
	,,	449क	0.133	नाला	449क	0.133	नाला	217	6
	,,	451	0.061	नाला	451	0.061	नाला	40	15
7	कमालपुर	252	0.082	नाला	252	0.082	नाला	54	3
	,,	253	0.455	नाला	253	0.455	नाला	136	15
	,,	271	0.912	नाला	271	0.912	नाला	1450	6.5
	,,	256	0.072	नदी	256	0.072	नदी	72	10
	,,	257	1.506	नदी	257	1.506	नदी	270	55
	,,	270	2.705	नदी	270	2.705	नदी	655	41
8	गूर्जरपुर	121	5.1168	नदी	121	5.1168	नदी	870	58
	,,	145	0.205	नदी	145	0.205	नदी	135	15
9	अजीजपुर	293	2.336	नदी	293	2.336	नदी	1092	21
	,,	314	0.061	नदी	314	0.061	नदी	28	21
	,,	323	1.301	नदी	323	1.301	नदी	630	21
	,,	419ग	0.533	नदी	419ग	0.533	नदी	250	21
	,,	411	1.896	नदी	411	1.896	नदी	860	21
	,,	419ध	0.102	नदी	419ध	0.102	नदी	50	21
10	काला माजरा	213	0.123	नाला	213	0.123	नाला	70	16
11	जलालपुर	202	0.420	नदी	202	0.420	नदी	250	16
	,,	10	0.103	नदी	10	0.103	नदी	56	18
	,,	1मि	0.041	नाला	1मि	0.041	नाला	50	16
	,,	1मि0	0.113	नाला	1मि0	0.113	नाला		
	,,	16मि	0.840	नाला	16मि	0.840	नाला	430	34
	,,	16मि0	0.154	नाला	16मि0	0.154	नाला		
	,,	16मि0	0.471	नाला	16मि0	0.471	नाला		
12	केरटू	58म	1.727	नदी	58ख	1.727	नदी	420	41
	,,	62म	0.947	नदी	62म	0.947	नदी	230	41
	,,	359	1.649	नदी	359	1.649	नदी	310	53

3— नदी के जलग्रहण क्षेत्र से सम्बन्धित समुचित विवरण—

उपरोक्त नदी मे वर्षा ऋतु के समय आस—पास के ग्रामो से अतिरिक्त वर्षा का जल प्रवाहित हो जाता है। इसके अतिरिक्त नदी मे जल प्रवाह गत 4—5 वर्षो से नही हो रहा है। उपरोक्त ग्रामो के शजरे की छायाप्रति, नकल खतौनी व तहसीलदार ऊन की जांच आख्या संलग्न कर सेवा मे सादर प्रेषित है।
संलग्न उपरोक्तानुसार

(निधि भारद्वाज)
उप जिलाधिकारी
ऊन, जनपद शामली।

महोदया,

मा0 एन0जी0टी0 मे योजित OA संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 06.12.2024 के क्रम मे आपको तहसील ऊन के अर्न्तगत स्थित ग्राम चौसाना जदीद, चौसाना बिला अह0, अलीपुरा, भडी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर, कालामाजरा, जलालपुर व केरटू मे स्थित खोखरी नदी के सम्बन्ध में दी जाने वाली बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है–

1-- खोखरी नदी का प्रचलित नाम व प्रवाह क्षेत्र–

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व टीम द्वारा उपरोक्त वर्णित ग्रामो मे आम बोलचाल की भाषा मे प्रचलित खोखरी नदी का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के सापेक्ष यह पाया गया कि प्रत्येक ग्राम के राजस्व अभिलेखो मे नदी की नौय्यत भिन्न–भिन्न दर्ज है, जिसे आख्या के अर्न्तगत वर्णित तालिका के कॉलम 5 व 8 मे दिया गया है। खोखरी नदी का उद्‌गम स्थान मूल रूप से जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड के ग्राम बिशनपुर मे है, उक्त वर्णित नदी जनपद शामली की सीमा मे तहसील ऊन के ग्राम चौसाना जदीद के खसरा सं0 849 मे प्रविष्ट होती है तथा अन्य ग्राम क्रमशः चौसाना बिला अह0, अलीपुरा, भडी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर, कालामाजरा, जलालपुर व केरटू से होते हुए पुनः ग्राम जलालपुर के खसरा सं0 202 से होते हुए यमुना नदी मे विलुप्त हो जाती है। उपरोक्त सभी ग्रामो मे खोखरी के प्रवाह की खसरावार सूचना तालिका के कॉलम 3 व 6 मे दी गयी है।

2– खोखरी नदी की चौडाई/गहराई राजस्व रिकार्ड/स्थलीय निरीक्षण मे पाये अतिक्रमण की स्थित –

राजस्व रिकार्ड की जांच व भूचित्र के अनुसार आख्या तैयार किये जाने हेतु राजस्व टीम का गठन किया गया तथा इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त व वर्तमान राजस्व अभिलेखो की जांच कराई गयी, प्राप्त जांच आख्या के आधार पर तहसील ऊन के ग्राम अलीपुरा मे खोखरी नदी का प्रवाह निरन्तर न होते हुए प्रवाह के बीच मे राजस्व अभिलेखो के अनुरूप खसरा सं0 23 संक्रमणीय भूमिधर की भूमि स्थित पायी गयी, खसरा सं0 23 के जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 की प्रति प्रमाण स्वरूप साथ मे संलग्न है। ग्राम अलीपुरा के खसरा सं0 23 के बाद पुनः नदी खसरा सं0 19 से अभिलेख अनुरूप आरम्भ हो जाती है। नदी के स्थलीय निरीक्षण के समय पाया गया कि नदी मे जल प्रवाह न होने के कारण आस–पास के कृषकों द्वारा कृषि रूप मे अस्थाई रूप से कब्जे किये हुए थे, जिनमे से अधिकांश अस्थाई कब्जो को हटवा दिया गया है, शेष अस्थाई कब्जे को हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है व दो ग्राम चौसाना जदीद व सकौती मे अवैध स्थाई कब्जे पाये गये, जिनके विरूद्व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अर्न्तगत मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी ऊन मे वाद सं0 टी20209720702701 सरकार बनाम राजेश आदि व वाद सं0 टी202509720702700 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि योजित है, जिसमे मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशो के क्रम मे त्वरित सुनवाई कर वादो का निस्तारण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

12/4/2025

12/04/2025

12-04-25

राजस्व रिकार्ड के अनुसार नदी की लम्बाई, चौडाई के सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा तैयार की गई सूची निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	बन्दोबस्त के अनुसार खसरा सं0	रकबा (हे0 मे)	नौईयत	वर्तमान खसरा संख्या	रकबा (हे0 मे)	नौईयत	लम्बाई (मी0 मे)	औसत चौडाई (मी0 मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चौसाना जदीद	840	1.598	नदी	840	1.598	नदी	505	18
	,,	841	0.113	नदी	841	0.113	नदी	70	12
	,,	848	0.205	नदी	848	0.205	नदी	80	27
	,,	849	1.372	नदी	849	1.372	नदी	406	31
	,,	1181	3.704	नदी	1181	3.704	नदी	1370	12
	,,	1356	1.331	नदी	1356	1.331	नदी	850	22
	,,	1659	1.075	नदी	1659	1.075	नदी	719	22
2	चौसाना बिला अह0	899	0.318	नदी	899	0.318	नदी	106	27
3	अलीपुरा	19	0.123	नदी	19ग	0.123	नदी	224	5
	,,	23मि	0.126	काश्तकार	23मि	0.126	काश्तकार	550	25
	,,	23मि	0.020	काश्तकार	23मि	0.020	काश्तकार		
	,,	23मि	0.128	काश्तकार	23मि	0.128	काश्तकार		
	,,	23मि	1.044	काश्तकार	23मि	1.044	काश्तकार		
	,,	23मि	0.287	काश्तकार	23मि	0.287	काश्तकार		
	,,	35	3.555	नदी	35क	3.555	नदी	1017	34
	,,	107	4.664	नदी	107	4.664	नदी	1750	27
4	भडी	339	1.578	नदी	339ख	1.578	नदी	1500	17
	,,	338	0.031	नदी	338	0.031	नदी	60	5
5	मुस्तुफा बाद	151	1.501	नाला	151	1.501	नाला	300	50
	,,	168	1.771	नाला	168	1.771	नाला	410	43
6	सकौती	56	4.383	नाला	56	4.383	नाला	962	45
	,,	164	4.194	नाला	164	4.194	नाला	994	42
	,,	315	2.797	नाला	315	2.797	नाला	461	60
	,,	384	0.031	नाला	384	0.031	नाला	67	4.5
	,,	402	1.196	नाला	402	1.196	नाला	360	33
	,,	444	0.179	नाला	444	0.179	नाला	172	10
	,,	445क	0.328	नाला	445क	0.328	नाला	208	16
	,,	446	0.277	नाला	446	0.277	नाला	167	16
	,,	449ख	0.287	नाला	449ख	0.287	नाला	217	13
	,,	450	0.195	नाला	450	0.195	नाला	203	9.5
	,,	445ख	0.061	नाला	445ख	0.061	नाला	208	3
	,,	448	0.072	नाला	448	0.072	नाला	50	14
	,,	449क	0 133	नाला	449क	0.133	नाला	217	6
	,,	451	0.061	नाला	451	0.061	नाला	40	15

7	कमालपुर	252	0.082	नाला	252	0.082	नाला	54	3
	"	253	0.455	नाला	253	0.455	नाला	136	15
	"	271	0.912	नाला	271	0.912	नाला	1450	6.5
	"	256	0.072	नदी	256	0.072	नदी	72	10
	"	257	1.506	नदी	257	1.506	नदी	270	55
	"	270	2.705	नदी	270	2.705	नदी	655	41
8	गूर्जरपुर	121	5.1168	नदी	121	5.1168	नदी	870	58
	"	145	0.205	नदी	145	0.205	नदी	135	15
9	अजीजपुर	293	2.336	नदी	293	2.336	नदी	1092	21
	"	314	0.061	नदी	314	0.061	नदी	28	21
	"	323	1.301	नदी	323	1.301	नदी	630	21
	"	419ग	0.533	नदी	419ग	0.533	नदी	250	21
	"	411	1.896	नदी	411	1.896	नदी	860	21
	"	419ध	0.102	नदी	419ध	0.102	नदी	50	21
10	काला माजरा	213	0.123	नाला	213	0.123	नाला	70	16
11	जलालपुर	202	0.420	नदी	202	0.420	नदी	250	16
	"	10	0.103	नदी	10	0.103	नदी	56	18
	"	1मि	0.041	नाला	1मि	0.041	नाला	50	16
	"	1मि0	0.113	नाला	1मि0	0.113	नाला		
	"	16मि	0.840	नाला	16मि	0.840	नाला	430	34
	"	16मि0	0.154	नाला	16मि0	0.154	नाला		
	"	16मि0	0.471	नाला	16मि0	0.471	नाला		
12	केरटू	58म	1.727	नदी	58ख	1.727	नदी	420	41
	"	62म	0.947	नदी	62म	0.947	नदी	230	41
	"	359	1.649	नदी	359	1.649	नदी	310	53

3– नदी के जलग्रहण क्षेत्र से सम्बन्धित समुचित विवरण–

उपरोक्त नदी मे वर्षा ऋतु के समय आस–पास के ग्रामो से अतिरिक्त वर्षा का जल प्रवाहित हो जाता है। इसके अतिरिक्त नदी मे जल प्रवाह गत 4–5 वर्षो से नही हो रहा है। उपरोक्त ग्रामो के शजरे की छायाप्रति व नकल खतौनी साथ मे संलग्न करते हुए आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

[illegible] आकार-पत्र ६९

(नियम ३१) १६

(पुनरीक्षणात्मक [illegible])

ग्राम आलीपुरा — परगना सिरोंजी — तहसील बैरसिया — जिला [illegible]

कुर्रा नं.	क्षेत्रफल	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	[illegible] संख्या	मिट्टी [illegible] (Soil Class)	सिंचाई का साधन	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
२३क	१।)३	८६।२	१।) ३	८२	ज० दो० स्याको	—	नदी १।)३
२३ख	५।)२	८८/३ कि	२।)	८६	ज० दो० स्याको	—	नदी ५।)२
		८७/३	१।)१		ज० दो० स्याको	—	
		८४६	१)८		ज० दो० स्याको	—	
		८८/१	८२		ज० दो० स्याको	—	
२३ग	८२	८८/३ कि	८२	६८	ज० दो० स्याको	—	नदी ८२
२३घ	।)२+१०	८८/३ कि	।)२+१०	८५	ज० दो० स्याको	—	नदी ।)२+१०
२३ङ	।)२+५	८८/३ कि	।)२+५	८५	ज० दो० स्याको	—	नदी ।)२+५
२५	८।।)+१६	५१	८१	६८	ज० दो० स्याको	नलकूप	६२
		५२ मी	८३+५		ज० दो० स्याको	नलकूप	
		३८ मि	।।)२+१०		ज० दो० स्याको	नलकूप	
		३७ मि	।)+१६		ज० दो० स्याको	नलकूप	
		८० मि	।)+८		ज० दो० स्याको	नलकूप	
		८५/१ मी	३)		ज० दो० स्याको	नलकूप	
		८५/२	८५		ज० दो० स्याको	आसो खेत	
		८६/२ मि	१।।)१+१०		ज० दो० स्याको	नलकूप	
		८८/१	८३+५		ज० दो० स्याको	नलकूप	बोरिंग १
		८७/२	१।)		ज० दो० स्याको	नलकूप	
			८।)१+१६				
	१४।)३+८		१४।)३+८				

कृषिक	अकृषिक	सिंचित		असिंचित	शा० जोत	[illegible] जोत
८।।)१+१६	८।।)१+१५	नलकूप	८।)२+१६	८६	८।।)१+१५	४
						बोरिंग १

सरकारी कार्य हेतु Approved
लेखापाल सिरोंजी
10-11-25

बन्दोबस्त [illegible] के हस्ताक्षर — [illegible] के हस्ताक्षर — सहायक बन्दोबस्त अधिकारी [illegible]

जो० च० आकार-पत्र ४५

(नियम ...) १६६

जोत चकबन्दी नियमावली की ... तैयार की गई खतौनी

ग्राम अलीपुरा परगना निसौली तहसील कैराना जिला मु० नगर

खातौनी खाता की क्रम-संख्या	खातेदार का नाम, पितृनाम तथा निवास	[illegible]	नई गाटा संख्या	क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	विशेष विवरण
श्रेणी १ क (क) :- भूमि जो सक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में है।						
1	2	3	4	5	6	7
९१	साधासिंह पुत्र बिशनसिंह निवासी सुन्दरनगर मजरा चौसाना।		९१	५।)२+६	२८.९३	१२२
९२	सिंगारासिंह पुत्र बुन्टासिंह निवासी ग्राम।		२२	।।।)४+१३		१२३
			१३	२७)१+५		
			९८घ	।।।)		
			२३क	१)३		
			४	३०)३+१८	१३२.९५	
९३	श्रीमती सलामन पत्नी महमूद पुत्री जिला निवासी ग्राम।		९२६	७८+१६	०.९८	१२४

प्रशासनिक कार्य हेतु
लेखपाल
10-04-25

हस्ताक्षर

जो० च० आकार-पत्र ४५

(नियम ४१) १६८

चकबन्दी अधिनियम की धारा २० के अधीन तैयार की गई खतौनी

गाँव अलीपुरा परगना बिजौली तहसील कैराना जिला मु०नगर

खतौनी-खाता की क्रम-संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास-स्थान		गाटा संख्या	क्षेत्रफल		विशेष विवरण
श्रेणी १ क (क) :- ऐसी भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में हो						
1	2	3	4	5	6	7
९४	सिंगारा सिंह पुत्र सुलखनसिंह निवासी ग्राम।		११	५)।।)२		१२४
			२३ख	५)२		
			२५	५)२		
			२६	६)।)२+५		
			४	२६)।।)४+५	६१·२०	
९५	सम्पूर्णसिंह पुत्र किशनसिंह निवासी सुन्दरनगर मजरा चौसाना।		३६अ	२१)२+१	५९·२१	१२६
९६	साधू पुत्र लक्खी निवासी नाई-नगला।		१८ख	५)		१२६
			२०	५)२+१८		
			२	६)२+१८	२३·२०	

सत्यप्रतिलिपि सरकारी कार्य हेतु
लेखपाल
10-04-25

सी० एच० आकार-पत्र ४५

(1 [illegible]) १६०

चकबन्दी अधिनियम की धारा २० के अधीन तैयार की गई खतौनी

ग्राम अलीपुरा परगना निगोंही तहसील कैराना जिला मु० नगर

खतौनी-खाते की क्रम-संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास-स्थान	[illegible]	नई गाटा संख्या	क्षेत्रफल	[illegible]	विशेष विवरण
श्रेणी । क(क) :- ऐसी भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में हो						
1	2	3	4	5	6	7
९६	भगवन्तसिंह पुत्र सुन्दरसिंह निवासी		१२८	२८॥।)१+६		ई१
	सुन्दरनगर मजरा चौसाना		१५०	३॥।		
			१८६अ	२२॥।)१+१२		
			३	४२॥।)३-१८	२४४.६०	
९७	मानसिंह पुत्र विशनसिंह निवासी		२३ग	॥२		ई२
	सुन्दरनगर मजरा चौसाना		२४	८॥।)१+१४		
			२	८॥।)३+२४	३५.६८	
९८	मूरा पुत्र मुन्शी निवासी ग्राम		८६	॥।)३+१०	१२.४२	ई२

सत्यप्रति लिपि सरकारी प्रयोग हेतु

लेखपाल हस्ताक्षर

10-4-2025

ग्राम अलीपुरा परगना निगौली ... तहसील कैराना जिला मु०नगर

खतौनी में खाते की संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान			क्षेत्रफल		विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	श्रेणी १ :- ऐसी भूमि जिसे सरकार अथवा गांव सभा अथवा अन्य स्थानीय अधिकारी को, जिसे सन १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७क के अधीन भूमि प्रबन्ध सौंपा गया हो, खेती करता हो ... नहीं					
	श्रेणी १ क (क) :- भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरी के अधिकार अथवा अधिकार में हो :-					
२	अब्दुल व नान्हू पुत्रगण छंगा निवासी चौसाना।		१२६ ७२१	_१३+१८	०.८६८	१

[illegible signatures]

आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी/SDM
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :शामली,तहसील :ऊन
वाद संख्या :-2701/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202509720702701
सरकार बनाम राजेश आदि
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09–04–2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पांच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04–07–2024 को एवं दिनांक 10–07–2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के संरेखन में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चौसाना के अन्तर्गत का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुर्नजीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का का अनुरोध किया गया।

इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन व जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09–04–2025 के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चूंकि उक्त क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तथा उक्तानुसार उपरोक्त खोखरी नदी पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में धारा 152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मैं निधि भारद्वाज, उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली, जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर के आख्या दिनांक 09–04–2025 से सहमत होते हुए विपक्षी–राजेश पुत्र टनक, महीपाल पुत्र जगबीरा, संजीव पुत्र महीपाल, प्रमोद पुत्र बिन्दर, घसीटू पुत्र विशम्बर, विनोद पुत्र विशम्बर, अतरा पुत्र सोहनलाल समस्त निवासीगण ग्राम चौसाना, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जंनपद शामली को निर्देश देती हूँ कि आपके द्वारा खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटा दें अथवा दिनांक 19–04–2025 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मौखिक/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करें और कारण बतायें, क्यों न इस आदेश को अन्तिम कर दिया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 11–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया गया।

(निधि भारद्वाज)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

प्रतिलिपि–प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराकर नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी/SDM
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :शामली,तहसील :ऊन
वाद संख्या :-2700/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202509720702700
सरकार बनाम हरेन्द्र आदि
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09–04–2025 के आधार पर प्रचलित हुई। जांच आख्या में इनके द्वारा कथन किया गया कि जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेस्टोरेशन प्लान तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर द्वारा पांच सदस्य टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा दिनांक 04–07–2024 को एवं दिनांक 10–07–2024 को खोखरी नदी का निरीक्षण कर नदी के संरेखन में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एवं चौसाना के अन्तर्गत का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्र की गई, जिसकी सूची संलग्न है तथा खोखरी नदी को पुर्नजीवित करने हेतु नदी में उक्त स्थाई अंतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अन्त में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन हेतु उक्त स्थाई अतिक्रमण को हटाने का का अनुरोध किया गया।

इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो के अनुपालन व जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर की आख्या दिनांक 09–04–2025 के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चूंकि उक्त क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तथा उक्तानुसार उपरोक्त खोखरी नदी पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में धारा 152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मैं निधि भारद्वाज, उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली, जिलेदार, ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर के आख्या दिनांक 09–04–2025 से सहमत होते हुए विपक्षी–हरेन्द्र पुत्र जिले सिंह, मोहित पुत्र चन्द्रपाल सिंह, सचिन कुमार पुत्र शिवकुमार, रामकुमार पुत्र कालाराम, मांगेराम पुत्र जिले सिंह, निर्मल पुत्र सीताराम, वेदपाल पुत्र सरजीत, तेजपाल व रामशरण पुत्रगण केशोराम, सुक्रमपाल पुत्र बलजीत, रामपाल पुत्र हरी सिंह, अमित पुत्र ईसम सिंह, लाभ सिंह पुत्र बलजीत, राजेन्द्र पुत्र पुन्ना सिंह, रामफल पुत्र धर्मवीर सिंह, मांगेराम पुत्र सुबा, रामशरण पुत्र सहेन्दर सिंह, भगवान सिंह पुत्र सहेन्दर सिंह, फूल कुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, शिवकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, रामकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, चन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह, रवि पुत्र राजपाल, नौशाद पुत्र बाबू, राजबीर पुत्र खिलारी, देशपाल पुत्र राजपाल, अरूण पुत्र पीतम सिंह, विकास पुत्र हरी सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सकौती, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली को निर्देश देती हूँ कि आपके द्वारा खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटा दें अथवा दिनांक 19–04–2025 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मौखिक/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करें और कारण बतायें, क्यों न इस आदेश को अन्तिम कर दिया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 11–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया गया।

(निधि भारद्वाज)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

प्रतिलिपि–प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराकर नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन
उपजिला मजिस्ट्रेट ऊन
शामली

जे० ब० आकार-५५

474

(नियम ६३) ५५

तुलनात्मक खसरा (फर्द मुतालबात)

सुजरपुर .... परगना बिडौली .... तहसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	नयी खाता खतौनी संख्या	पिछले बन्दोबस्त की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई का साधन	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१२१	२४।।।)४+४	३१६ मि० / ११	७)	१ सा०स०	जंगल दोयम खाकी	—	बंजर
		३१६ / १२	१।।।)३		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/१३	।।)१		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/१४	।।)२		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/१५	ऽ४		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/१६ मि०	३)४		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/१७	।।।)		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/१८	१)३		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२०	।।)२		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२१	ऽ२		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२२	।)३		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२३	१)४		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२४	।।।)१		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२५	।)		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२६	।।)		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२६ मि०	ऽ४		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/१ मि०	।।।)२		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१६/२	।)२		जंगल दोयम खाकी	—	
		३१८ मि०	।)२		जंगल दोयम खाकी	—	
		३२०/८ मि०	ऽ+१०		जंगल दोयम खाकी	—	
		४४१ मि०	।।।)३+६		जंगल अव्वल खाकी	—	
		४४३ मि०	ऽ१		जंगल अव्वल खाकी	—	
		४४५/१ मि०	ऽ३+१६		जंगल अव्वल खाकी	—	
		४४५/२ मि०	ऽ१+१०		जंगल अव्वल खाकी	—	
	२४।।।)४+४		कुल [illegible]	३५ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] २४ ४+४
				२४।।।)४+४			

[signature]

चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर | चकबन्दीकर्ता के हस्ताक्षर | सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यप्रतिलिपि
सरकारी कार्य हेतु
[signature]
ले० महदाली
10-04-25

विशेष सूचना- स्तम्भ ५ नई खतौनी तैयार हो जाने पर भरा जायगा।

बी०सन सूची-२५ चकबन्दी-13-7-78-44,00,000.(आफसेट)

([illegible]) ४६

[illegible] (फर्द [illegible])

गुजरपुर परगना बिडौली तहसील कैराना जिला [illegible]

[illegible]	[illegible]	खसरा संख्या	रकबा	नये खसरा की संख्या	चकबन्दी की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई का साधन	[illegible]
१	२	३	४	५	६	७	
		४५६ मि०	॥)३+१८		जंगल अव्वल खादी	—	
		४६४/१ मि०	३)२+३		जंगल अव्वल खादी	—	
		४६४/२ मि०	)२		जंगल अव्वल खादी	—	
		४६४/२/२ मि०	)२		जंगल अव्वल खादी	—	
१२२ ब	॥)४+१८	४६४/१ मि०	॥)४+१८	३८	जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
ब	१)३+३	४६४/१ मि०	१)३+३	१४०	जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
१२३	)१+७	४६४/१ मि०	)१+७	१२५	जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
१२६ अ	६)४+६	४५५/२ मि०	)२	११८	जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४५८ मि०	)१+२		जंगल दोयम खादी	नलकूप	
		४५७ मि०	॥)३+४		जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४५८ मि०	)४		जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४६१ मि०	)१		जंगल दोयम खादी	नलकूप	
		४६३ मि०	१॥)१+१३		जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४६४/१ मि०	॥)४		जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४६२ मि०	॥)३+७ ३॥)४+६		जंगल दोयम खादी	नलकूप	
ब	)३+१५	४६४/१ मि०	)३+१५	१७७	जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
१२५	२॥)+१०	४५५/१ मि०	)१	८६	जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४५५/२ मि०	)१+१०		जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४५७ मि०	१)१+१६		जंगल अव्वल खादी	नलकूप	
		४५८ मि०	॥)३+४		जंगल अव्वल खादी	न	
		४६१ मि०	)३ २॥)+१०		जंगल दोयम खादी	न	
६)११+१५							
		कु० [illegible]	अकृ० [illegible]	[illegible]		ऊसर [illegible]	
		६)१+१५	+	६)१+१५		+	

सत्यप्रतिलिपि सरकारी कार्य हेतु [signature] लेखपाल [illegible] 10-04-25

[signature] [illegible]   [signature] [illegible]   [illegible]

[illegible]

जोत चक आकार पत्र ४१

(नियम ६३)

पुराना नक्शा खसरा (नई संख्या वार)

गाँव मुन्डियाँ .... परगना सेहरामऊ .... तहसील पुवायाँ .... जिला शाहजहाँपुर

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	नई खाता खतौनी संख्या	मिट्टी के अनुसार की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई का साधन	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	
२४४	२।।४+६	२९५ मि०	।।।+४	८२	जंगल दोमट	नलकूप	८
		२९८ मि०	।।।४+२		जंगल दोमट	नलकूप	
२४५	३।	२९९ मि०	३।	सरकार	जंगल दोमट	[illegible]	
२४६	।१।	२९६	।१।	१५२	जंगल दोमट	असिंचित	
२४७	२।।।२+१६	३०१/३ मि०	२।।।२+१६	१२६	जंगल दोमट	नलकूप	
२४८	३।।।२+१२	२९६/२ मि०	।२	१८१	जंगल दोमट (पोत)	नलकूप	
		२९८ मि०	।।।१		जंगल दोमट	नलकूप	
		२९४ मि०	।।१		जंगल दोमट	नलकूप	
		३०० मि०	।४+१०		जंगल दोमट	नलकूप	
		३०१/३ मि०	२। (२।।।१६)		जंगल दोमट (पोत)	नलकूप	
२४९	।१	३०१/१	।१	१२६	जंगल दोमट	असिंचित	
२५०	।४	३०१/४	।४	१८१	जंगल दोमट	असिंचित	
२५१	।।	३०१/२	।।	४४	जंगल दोमट	असिंचित	
२५२	१।२	३०१/३ मि०	१।२	२६	जंगल दोमट (पोत)	नलकूप	
२५३	२।।।२+६	२९७ मि०	।२+१६	१०८	जंगल उत्तम (पोत)	नलकूप	
		२९६ मि०	।।१		जंगल उत्तम (पोत)	नलकूप	
		३०० मि०	२।।२		जंगल दोमट	नलकूप	
		३०१/३ मि०	।२+४		जंगल दोमट (पोत)	नलकूप	
		३०५/१ मि०	।।२		जंगल दोमट	असिंचित	
		३०४ मि०	।२ (आधा)		जंगल दोमट (पोत)	नलकूप	
२५४	।।२+१२	२९७ मि०	।+१०	५३	जंगल उत्तम (पोत)	नलकूप	
		३०० मि०	।+२		जंगल दोमट (पोत)	नलकूप	
		३०५/१ मि०	।२		जंगल दोमट (पोत)	नलकूप	
	१५।४+२		कुल क्षेत्रफल	अवक्षेत्रफल	सिंचित	असिंचित	
			१३।४+२	६)	१२।।।-२	।१।४	

विशेष सूचना- स्तम्भ ५ नई खतौनी तैयार हो जाने पर भरा जायगा।

पी०एस०यू०पी०-२१ चकबन्दी-13-7-78-44,00,000 (आफसेट)

सत्यप्रतिलिपि सरकारी कार्यालय

लेखक दस्तावेज़ 10-4-25

खतौनी अधिकार पत्र [illegible]

([illegible])

१५ [illegible]

[illegible] अधिनियम की धारा [illegible] के अधीन तैयार की गई खतौनी

मौजा [illegible] परगना [illegible] तहसील कैराना [illegible]

खातेदार का नाम, पितृ नाम तथा निवास स्थान सम्पत्ति	राज्यकीय	गाटा संख्या	क्षेत्रफल मिलियत सरकार	[illegible]	[illegible]
श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि	3	४			
1 नदी		१२९	२४॥।)८+४		
		१४५	१)		
		२	२४॥।)८+४		
योग १५(१)		२	२४॥।)८+४		
१५(२) स्थल सडकें रेलवे भवन ऐसी दूसरी भूमियों जो अकृषक उपयोग के लिए काम में लाई जाती है।					
२ सडक खन्ती		८क	८२		
३ सडक कच्ची		८ख	१॥।)३		
योग १५(२)		२	१॥।)		
योग १५		४	२६॥।)८+४		
योग श्रेणी १० से १५		४	२६॥।)८+४		

सत्यप्रतिलिपि सरकारी कार्य हेतु

[illegible] लेखपाल [illegible] 10-04-25

[illegible]

A- 9

न्यायालय उप जिलाधिकारी ऊन, जनपद शामली

पत्र सं0 185 / रीडर

दिनांक 28-05-2025

विषयः ग्रा0 एन0जी0टी0 प्रकरण के बिन्दु सं0-08 में कृत कार्यवाही का विवरण

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मु0नगर/शामली

अवगत कराना है कि तहसील ऊन, जनपद शामली के क्षेत्रान्तर्गत खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले ग्राम सकौती के 27 व्यक्तियों व चौसाना 07 के व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण निम्नवत है—

01-- **ग्राम सकौती में अतिक्रमण की स्थिति—** खोखरी नदी की भूमि पर ग्राम सकौती, परगना बिडौली, तहसील ऊन, जनपद शामली में कुल 27 व्यक्तियों का अतिक्रमण पाये जाने के कारण खोखरी नदी के संरक्षित विभाग ड्रेनेज खण्ड शामली/मु0नगर की आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद संख्या टी 202509720702700, अन्तर्गत धारा 152 भा0ना0सु0सं0 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, थाना—झिंझाना दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 11—04—2025 को प्रारम्भिक आदेश अन्तर्गत धारा 152(1)भा0ना0सु0सं0 निर्गत किया गया तथा थाना झिंझाना के माध्यम से उक्त आदेश प्रतिवादीगण को तामील कराया गया।

कृत कार्यवाही— उक्त 27 प्रतिवादी में से 03 प्रतिवादी लाभ सिंह पुत्र बलजीत सिंह व रामशरण शर्मा, तेजपाल शर्मा पुत्रगण केसोराम शर्मा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने हेतु समय चाहा गया था, जिनमें से 01 प्रतिवादी लाभ सिंह पुत्र बलजीत सिंह द्वारा दिनांक 23—05—2025 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। उक्त शेष 02 प्रतिवादी द्वारा अपना अतिक्रमण हटाये जाने का कोई साक्ष्य अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। 01 प्रतिवादी मोहित पुत्र चन्द्रपाल द्वारा दिनांक 26—05—2025 को न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। शेष 23 प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अतिक्रमण की स्थिति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से दिनांक 28-05-2025 को स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गयी। वाद उक्त में अग्रिम तिथि दिनांक 30-05-2025 वास्ते शेष जवाबदावा/सुनवाई हेतु नियत है।

02— **ग्राम चौसाना में अतिक्रमण की स्थिति—** खोखरी नदी की भूमि पर ग्राम सकौती, परगना बिडौली, तहसील ऊन, जनपद शामली में कुल 07 व्यक्तियों का अतिक्रमण पाये जाने के कारण खोखरी नदी के संरक्षित विभाग ड्रेनेज खण्ड शामली/मु0नगर की आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद संख्या टी 202509720702701, अन्तर्गत धारा 152 भा0ना0सु0सं0 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, थाना—झिंझाना दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 11-04—2025 को प्रारम्भिक आदेश अन्तर्गत धारा 152(1) भा0ना0सु0सं0 निर्गत किया गया तथा थाना झिंझाना के माध्यम से उक्त आदेश प्रतिवादीगण को तामील कराया गया।

कृत कार्यवाही— उक्त 07 प्रतिवादी में से तामील के दौरान 01 प्रतिवादी महीपाल पुत्र जगबीरा उर्फ रणवीरा निवासी चौसाना मृतक पाये जाने पर मृतक के वारिसान के सम्बन्ध में लेखपाल आख्या प्राप्त की गयी। मृतक महीपाल पुत्र जगबीरा के वारिस संजीव पुत्र महीपाल का नाम पूर्व सही ही प्रतिवादी के रूप में दर्ज है। शेष कुल 06 प्रतिवादी में से 03 प्रतिवादी प्रमोद पुत्र बिन्दर व घसीटू, विनोद पुत्रगण बिशम्बर

द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम उपस्थित होकर समय चाहा गया, परन्तु उक्त तीनो प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया। इस प्रकार उक्त 06 प्रतिवादीगण में से किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अतिक्रमण की स्थिति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से दिनांक 28–05–2025 को स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गयी। वाद उक्त में अग्रिम तिथि दिनांक 30–05–2025 वास्ते जवाबदावा/सुनवाई हेतु नियत है।

विशेष कथन— प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित होने के कारण उक्त योजित दोनों वादो में दिन प्रतिदिन की तिथि नियत करते हुए तथा सम्बन्धित पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित असवर प्रदान करते हुए वादो का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।

(निधि भारद्वाज)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

प्रतिलिपि—जिलाधिकारी महोदय, शामली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली

कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

पत्रांक 2075 / 18–1(जि0गं0स0)शामली, दिनांक-- 11-04-2025।

Annexure-R-10

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन,उ0प्र0
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,उ0प्र0
लखनऊ।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद सं0 ओ0ए0 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में खोखरी नदी जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृती प्रदान कर धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि जनपद शामली में खोखरी नदी विकास खण्ड ऊन क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्राम चौसाना जदीद से शुरू होकर ग्राम चौसाना, गुर्जरपुर, जिजौला, काला माजरा, कमालपुर, नाई नंगला, सकौती आदि गांवो से होती हुई ग्राम कबीरपुर के मचरा ख्वाजपुरा में यमुना नदी में मिल रही है। जनपद में नदी की कुल लम्बाई लगभग 17.84 कि0मी0 है। जिसमें नदी के जीर्णोद्धार हेतु वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, खोखरी नदी से अतिक्रमण हटाया जाना व नदी पर वृक्षारोपण की कार्ययोजना तैयार की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	नदी का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत
1	खोखरी नदी (एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–201/2024)	खोखरी नदी के जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु मशीनीकरण से खुदाई कार्य	रू0 564.455 लाख
2		वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट कार्य	रू0 15.874 लाख
3		नदी पर वृक्षारोपण कार्य	रू0 112.498 लाख
4		कुल	रू0 692.827 लाख

उक्त कार्यो के प्रस्ताव मूल में संलग्न कर जिला गंगा समिति के माध्यम से आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही एवं धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–प्रस्तावों के प्राक्कलन

भवदीय,	भवदीय	भवदीय,
(signature)	(signature)	(signature) 11/04/2025
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव	मुख्य विकास अधिकारी/नोडल सदस्य	जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति, शामली	जिला गंगा समिति, शामली	जिला गंगा समिति, शामली

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
ऊन (शामली)

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
शामली

पत्र संख्या 5073/लेखा–मनरेगा/2024–25 दिनांक – 19–3–2025

महोदय,

विकास भवन में ग्राम प्रधानो के साथ बैठक में हुई वार्ता के कम में खोखरी नदी के मार्ग मे पडने वाले ग्रामो में मनरेगा अन्तर्गत अपेक्षित श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण और ग्राम निधि से कराया जाना सम्भव न होने के फलस्वरूप अन्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु 56445500.00 का प्राकल्लन तैयार हुआ है । प्राकल्लन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार प्राकल्लन

भवदीय,

खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)

ST
19/3/2025

MODEL ESTIMATE

DISTRICT - SHAMLI

FINANCIAL YEAR

2024-25

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

NAME OF DISTRICT - SHAMLI

NAME OF BLOCK - Oon

NAME OF VILL -

1	BHADI	.40Km
2	CHAUSANA JADEED	3.35 Km
3	CHOSHANA	.09Km
4	GURJARPUR	1.32Km
5	JIJOLA	3.02Km
6	KABEERPUR	2.35Km
7	KALA MAJRA	1.03Km
8	KAMALPUR	2.41Km
9	KERTU	1.20Km
10	NAINAGLA SAKOTI	2.67Km

ESTIMATED COST - 56445500.00 Lakh

S.N.	NAME OF OFFICER	DESIGNATION
1	Shri. Umakant Mudgal	B D O . OON
3	Er. Amit Kumar	JUNIOR ENGINEER

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

CERTIFICATE

1- Certified that the rate has been provided as per current on PWD schedule of rate.

2- Certified that the distance has been shown in the estimate is correct to the best of my knowledge.

3- Certified that the rate which are not available in schedule of rate, has been obtained at minimum market rate.

4- This project is not sanctioned in any other scheme.

SPECIFICATION

All work shall been executed as per standerd specification of U.P. PWD schedule of rate and as per direction of engineer in charge of work or site.

J E
OON

B.D.O
OON

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LAHEL	QTY
1	0	TO	100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
2	100	TO	200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
3	200	TO	300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
4	300	TO	400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
5	400	TO	500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
6	500	TO	600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
7	600	TO	700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
8	700	TO	800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
9	800	TO	900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
10	900	TO	1000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
11	1000	TO	1100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
12	1100	TO	1200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
13	1200	TO	1300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
14	1300	TO	1400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
15	1400	TO	1500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
16	1500	TO	1600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
17	1600	TO	1700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
18	1700	TO	1800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
19	1800	TO	1900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
20	1900	TO	2000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
21	2000	TO	2100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
22	2100	TO	2200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
23	2200	TO	2300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
24	2300	TO	2400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
25	2400	TO	2500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
26	2500	TO	2600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
27	2600	TO	2700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
28	2700	TO	2800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
29	2800	TO	2900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
30	2900	TO	3000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
31	3000	TO	3100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
32	3100	TO	3200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
33	3200	TO	3300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
34	3300	TO	3400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
35	3400	TO	3500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
36	3500	TO	3600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
37	3600	TO	3700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
38	3700	TO	3800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
39	3800	TO	3900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
40	3900	TO	4000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
41	4000	TO	4100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
42	4100	TO	4200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
43	4200	TO	4300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
44	4300	TO	4400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
45	4400	TO	4500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LAHEL	QTY
46	4500	TO	4600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
47	4600	TO	4700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
48	4700	TO	4800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
49	4800	TO	4900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
50	4900	TO	5000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
51	5000	TO	5100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
52	5100	TO	5200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
53	5200	TO	5300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
54	5300	TO	5400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
55	5400	TO	5500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
56	5500	TO	5600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
57	5600	TO	5700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
58	5700	TO	5800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
59	5800	TO	5900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
60	5900	TO	6000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
61	6000	TO	6100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
62	6100	TO	6200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
63	6200	TO	6300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
64	6300	TO	6400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
65	6400	TO	6500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
66	6500	TO	6600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
67	6600	TO	6700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
68	6700	TO	6800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
69	6800	TO	6900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
70	6900	TO	7000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
71	7000	TO	7100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
72	7100	TO	7200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
73	7200	TO	7300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
74	7300	TO	7400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
75	7400	TO	7500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
76	7500	TO	7600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
77	7600	TO	7700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
78	7700	TO	7800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
79	7800	TO	7900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
80	7900	TO	8000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
81	8000	TO	8100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
82	8100	TO	8200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
83	8200	TO	8300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
84	8300	TO	8400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
85	8400	TO	8500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
86	8500	TO	8600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
87	8600	TO	8700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
88	8700	TO	8800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
89	8800	TO	8900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
90	8900	TO	9000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
91	9000	TO	9100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
92	9100	TO	9200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
93	9200	TO	9300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
94	9300	TO	9400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
95	9400	TO	9500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
96	9500	TO	9600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
97	9600	TO	9700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
98	9700	TO	9800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
99	9800	TO	9900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
100	9900	TO	10000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
101	10000	TO	10100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
102	10100	TO	10200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
103	10200	TO	10300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
104	10300	TO	10400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
105	10400	TO	10500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
106	10500	TO	10600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
107	10600	TO	10700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
108	10700	TO	10800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
109	10800	TO	10900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
110	10900	TO	11000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LAHEL	QTY
111	11000	TO	11100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
112	11100	TO	11200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
113	11200	TO	11300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
114	11300	TO	11400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
115	11400	TO	11500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
116	11500	TO	11600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
117	11600	TO	11700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
118	11700	TO	11800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
119	11800	TO	11900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
120	11900	TO	12000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
121	12000	TO	12100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
122	12100	TO	12200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
123	12200	TO	12300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
124	12300	TO	12400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
125	12400	TO	12500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
126	12500	TO	12600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
127	12600	TO	12700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
128	12700	TO	12800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
129	12800	TO	12900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
130	12900	TO	13000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
131	13000	TO	13100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
132	13100	TO	13200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
133	13200	TO	13300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
134	13300	TO	13400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
135	13400	TO	13500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
136	13500	TO	13600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
137	13600	TO	13700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
138	13700	TO	13800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
139	13800	TO	13900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
140	13900	TO	14000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
141	14000	TO	14100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
142	14100	TO	14200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
143	14200	TO	14300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
144	14300	TO	14400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
145	14400	TO	14500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
146	14500	TO	14600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
147	14600	TO	14700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
148	14700	TO	14800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
149	14800	TO	14900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
150	14900	TO	15000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
151	15000	TO	15100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
152	15100	TO	15200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
153	15200	TO	15300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
154	15300	TO	15400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
155	15400	TO	15500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
156	15500	TO	15600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
157	15600	TO	15700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
158	15700	TO	15800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
159	15800	TO	15900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
160	15900	TO	16000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
161	16000	TO	16100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
162	16100	TO	16200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
163	16200	TO	16300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
164	16300	TO	16400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
165	16400	TO	16500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
166	16500	TO	16600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
167	16600	TO	16700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
168	16700	TO	16800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
169	16800	TO	16900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
170	16900	TO	17000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
171	17000	TO	17100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
172	17100	TO	17200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
173	17200	TO	17300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
174	17300	TO	17400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
175	17400	TO	17500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00

GRID NO.	CHANAGE NO.			L	SLUSH DEPTH	CUT DEPTH	PLAN AREA	QTY SLUSE & LAHEL	QTY
176	17500	TO	17600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
177	17600	TO	17700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
178	17700	TO	17800	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
179	17800	TO	17900	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
180	17900	TO	18000	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
181	18000	TO	18100	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
182	18100	TO	18200	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
183	18200	TO	18300	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
184	18300	TO	18400	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
185	18400	TO	18500	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
186	18500	TO	18600	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
187	18600	TO	18700	100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
				100	0.30	1.50	16.00	480.00	2400.00
								0.00	0.00
								89760.00	448800.00

TOTAL QUANTITY OF EARTH WORK = 448800.00 CUM

DEDUCTION = -0.5 18700.00 3.00 0.75 -21037.50 CUM

TOTAL EARTH WORK = 427762.50 CUM

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

BUND ADJUSTMENT EARTH

PERIMETER OF BUND	=	18700.00	MTR
BOTTOM WIDTH OF BUND	=	3.00	MTR
TOP WIDTH OF BUND	=	1.00	MTR
HEIGHT OF BUND	=	1.50	MTR
BERM	=	1.00	MTR
SIDE SLOPE OF BUND	=	1;1	
EXCAVATED EARTH	=	427762.50	CUM
QUANTITY OF EARTH IN BUND	=	112200.00	CUM
SLUSE QTY	=	89760.00	CUM
REMAINING QUANTITY OF SOIL	=	225802.50	CUM

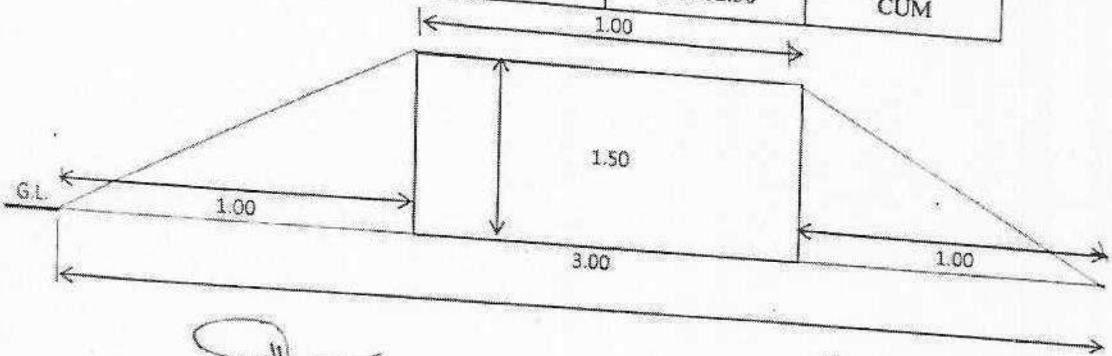

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

Abstract of Cost

em nc	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	EARTH WORK IN EXCAVATION BY POCCLAIN M/C AND TRANSPORTATION DONE BY TRACTOR WITH TROLLY PER CUM (SE MI)	427762.50	Cum	105.00	₹ 44,915,062.50
2	EXTRA FOR SLUSH AND LAHEL FOR EARTH WORK. (IRRI- CH-V-10)	89760.00	Cum	51.50	₹ 4,622,640.00
3	DRESSING EARTH WORK ON BUND (100%)	112200.00	Cum	6.44	₹ 722,568.00
4	DEWATERING BY PUMP (SE MI)	500.00	Hrs.	240.00	₹ 120,000.00
				Total	₹ 50,380,270.50

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

Item No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
A	MISCELLANEOUS WORK				
1	PHOTO GRAPHY BEFOR AND DURING THE WORK	1	JOB	5000	₹ 5,000.00
2	SUPPLY AND FIXING OF SIGN BOARD	1	JOB	7500	₹ 7,500.00
3	COLOUR WASH AND WRITING SLOGAN	1	JOB	5000	₹ 5,000.00
				TOTAL	₹ 17,500.00

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

SUMMARY OF COST

S. N.	PARTICULAR OF ITEM	AMOUNT
1	COST OF EARTH WORK EXCAVATION	₹ 50,380,270.50
6	MISCELLANEOUS WORK	₹ 17,500.00
	TOTAL	₹ 50,397,770.50

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

MODEL ESTIMATE

NAME OF WORK:- RENOVATION OF KHOKARI RIVER

SUMMARY OF PROJECT COST

S. No.	PARTICULAR OF ITEM	AMOUNT
1	COST OF WORK	₹ 50,397,770.50
2	ADD G S T 12% ON A	₹ 6,047,732.46
3	**Total**	**₹ 56,445,502.96**
	OR SAY	**₹ 56,445,500.00**

J.E. (OON)

B.D.O (OON)

पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

REPORT

TOPIC- NUMBER OF NALAS FALL INTO THE RIVER KOKHRI

BLOCK NAME - UN

DISTRICT - SHAMLI

STATE - UTTAR PRADESH

Er. Sa[illegible]
Consulting Engineer
Panchayati Raj Department
Shamli, (U.P.)-24777[illegible]

पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

NAME OF WORK	-	CONSTRUCTIONS OF FILTER CHAMBERS (16) & WASTE STABLISATION POND (2) ACROSS KOKHRI RIVER TO FILTER HOUSEHOLD WASTE WASTER
BLOCK NAME	-	UN
DISTRICT	-	SHAMLI
STATE	-	UTTAR PRADESH
ESTIMATED COST	-	*1587400.00*

Er. Saurabh Bhargva
Consulting Engineer
Panchayati Raj Departm
Shamli,(U.P.)-2477..

BLOCK - UN

DETAIL OF MEASURMENT ✓

DISTT - SHAMLI

CONSTRUCTION OF FILTER CHAMBERS (16) & WASTE STABLISATION POND (2) ACROSS KOKHRI RIVER

S. NO	ITEM OF WORK	NO	L	B	H/D	QTY	UNIT
1	EARTH WORK IN EAXCAVATION IN FOUNDATION IN ORDINERY SOIL i/c LEAD 30&LIFT 1.5 M IN ALL RESPECT (RES-251)						
	NALA BEFORE FILTER CHAMBER& WSP	18	10.00	1.06	0.70	133.56	
	FILTER CHAMBER (TOTAL-16)	16	3.05	1.07	1.80	93.99	
	WSP(TOTAL-2) SEDIMENTATION POND	2	5.23	3.35	3.60	126.15	
	FACULATIVE POND	2	5.23	4.60	2.30	110.67	
	MATURATION POND	2	5.23	2.50	2.00	52.30	
	TOTAL					516.66	CUM
2	P.C.C LAYING I/I 1:6:12 WITH CEMENT AND FINE SAND AND 40mm GAUGE STONE BALLAST COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-273 TO 275)						
	NALA BEFORE FILTER CHAMBER	18	10.00	1.06	0.10	19.08	
	FILTER CHAMBER (TOTAL-16)	16	3.05	1.07	0.10	5.22	
	OUTER L/W (WSP)	4	10.00	0.69	0.10	2.76	
	S/W	8	4.54	0.69	0.10	2.51	
	SEDIMENTATION POND	2	4.54	2.65	0.10	2.41	
	FACULATIVE POND	2	4.54	4.25	0.10	3.86	
	MATURATION POND	2	4.54	2.15	0.10	1.95	
	TOTAL					37.79	CUM
3	M 150 BRICK WORK IN FOUNDATION 1:4 WITH CEMENT AND C/ SAND MORTAR COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-310)						
	NALA BEFORE FILTER CHAMBER	36	10.00	0.23	0.45	37.26	
	FILTER CHAMBER (TOTAL-16)	32	3.05	0.23	1.65	37.04	
		32	1.07	0.23	1.65	12.99	
		32	1.07	0.12	0.80	3.29	
		-16	1.00	0.40	0.10	-0.64	
	OUTER L/W (WSP)	4	10.00	0.46	0.30	5.52	
	OUTER S/W	8	4.54	0.46	0.30	5.01	
		4	3.35	0.35	1.50	7.04	
	OUTER L/W	4	4.60	0.35	0.60	3.86	

Er. Saurabh Bhargva
Consulting Engineer
Panchayati Raj Departm
Shamli,(U.P.)-247776

	OUTER L/W						
	OUTER L/W	4	2.50	0.35	0.30	1.05	
		4	3.11	0.23	1.20	3.43	
		4	4.48	0.23	1.20	4.95	
	[illegible]	4	2.38	0.23	1.20	2.63	
		4	4.54	0.35	1.50	9.53	
		2	4.54	0.35	0.60	1.91	
		2	4.54	0.35	0.30	0.95	
		8	4.54	0.23	1.20	10.02	
	JALI AREA DEDUCTION	-8	0.60	0.23	0.60	-0.66	
	TOTAL					145.18	CUM
4	12 mm THICK PLASTER IN 1:4 CEMENT AND F/ SAND MORTAR COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-596)						
	NALA BEFORE FILTER CHAMBER	36	10.00		0.40	144.00	
	FILTER CHAMBER (TOTAL-16)	32	3.05		1.65	161.04	
		32	1.07		1.65	56.50	
		32	1.07		0.80	27.39	
		32	1.07		0.80	27.39	
	Deduction	-16	0.40		0.40	-2.56	
		64	0.12		0.80	6.14	
	SEDIMENTATION POND(WSP)	4	2.65		2.40	25.44	
	SEDIMENTATION POND	4	4.54		2.40	43.58	
	FACULATIVE POND	4	4.25		1.70	28.90	
	FACULATIVE POND	4	4.54		1.70	30.87	
	MATURATION POND	4	2.15		1.35	11.61	
	MATURATION POND	4	4.54		1.35	24.52	
	JALI AREA DEDUCTION	-8	0.60		0.60	-2.88	
	TOTAL					581.95	SQM
5	LAYING OF C. C. IN 1:2:4 IN CEMENT, C/SAND & 20 MM S/GRIT IN COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-282)						
	CUNET	18	10.00	0.45	0.06	4.86	
	WALL COPPING	36	10.00	0.23	0.03	2.48	
	WSP	2	4.54	2.65	0.10	2.41	
		2	4.54	4.25	0.10	3.86	
		2	4.54	2.15	0.10	1.95	
	TOTAL					15.56	CUM
6	RCC WORK 1:1.5:3 WORK IN SLAB WITH CEMENT C/SAND & S/ GRIT						
	WITH CEMENT C/SAND & S/ GRIT	16	3.05	1.07	0.15	7.83	
		48	1.52	1.05	0.15	11.49	
	WSP	4	10.00	0.30	0.15	1.80	

Er. Saurabh Bhargava
Consulting Engineer
Panchayati Raj Department
[illegible]

		8	4.54	0.30	0.15	1.63	
	TOTAL					22.76	CUM
	MS WORK IN RCC WORK IN SLAB	1	22.76	0.01	78.50	22.33	
	TOTAL					22.33	QTL
7	MS IRON WORK IN ANGLE TO TIE THORN WIRES AND JALI	1				2.25	Qtl
8	FILLING OF FILTER MEDIA						
	(i) BRICK BATS	16	1.82	1.10	0.30	9.61	
	TOTAL					9.61	CUM
	(i) S/ GRIT	16	1.82	1.1	0.3	9.6096	
	TOTAL	.				9.6096	CUM
	(i) COARSE SAND	16	1.82	1.1	0.3	9.6096	
	TOTAL					9.6096	CUM

Saurabh

Er. Saurabh Bhargva
Consulting Engineer
Panchayati Raj Department

CONSUMPTION

BLOCK - UN

DISTT - SHAMLI

CONSTRUCTIO[illegible] [illegible] CHAMBERS (16) & WASTE STABLISATION [illegible] ( ) ACROSS KOKHRI RIVER

S. N.	ITEM	QTY	UNIT	CEMENT	F/SAND	C/SAND	S/GRIT	M150 BRIKS	S/BALL
1	M 150 B/W IN 1:4 MIX MORTAR	145.18	CUM	270.04	0.0	39.20	0.00	66785	0.00
2	LAYING OF CC ROAD IN 1:2:4	15.56	CUM	103.64	0.0	7.00	14.01	0.00	0.00
3	P. C. C IN 1:6:12	37.79	CUM	85.39	18.89	0.00	0.00	0.00	37.79
4	12 MM THICK PLASTER IN 1:4	581.95	SQM	66.34	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RRC 1:1:5:3	22.76	CUM	197.99		9.56	19.34		
6	C/SAND					9.60			
7	S/BALLAST								9.61
8	S/ GRIT						9.60		
	TOTAL			723.41	27.62	65.36	42.95	66785	47.40
	OR SAY			724.00	27.62	65.36	42.95	66785	47.40

S.N.	ITEM	QTY	UNIT		RATE	GST RATE	AMOUNT	GST AMOUNT
1	CEMENT GST 28%	724.00	BAG	@	350.0	448.00	253400.00	324352.00
2	F/SAND GST 5%	27.62	CUM	@	1100.0	1155.00	30383.90	31903.10
3	C/SAND GST 5%	65.36	CUM	@	2000.0	2100.00	130721.60	137257.68
4	S/GRIT GST 5%	42.95	CUM	@	1974.5	2073.23	84803.91	89044.10
5	B/BALLAST GST 12%	47.40	CUM	@	900.0	1008.00	42655.57	47774.24
6	MS STEEL BAR 18%	22.33	QTL	@	5800.0	6844.00	129521.47	152835.33
7	MS IRON WORK IN ANGLE TO TIE THORN WIRES AND JALI	2.25	QTL	@	5800.0	6844.00	13050.00	15399.00

Saurabh

Er. Saurabh Bhargava
Consulting Engineer
[illegible]ayati Raj Department
[illegible]amli (U.P.)-[illegible]

8	M150 BRIKS GST 12%	66785.0	NO	@	5.80	6.496	387353.00	433835.36
	TOTAL						1071889.4	1232400.81

Er. [illegible] Bhargva
Co[illegible]ting Engineer
Panchayati Raj Department
[illegible] (U.P.)-2[illegible]

LABOUR COST

OCK - UN DISTT - SHAMLI

CONSTRUCTION OF FILTER CHAMBERS (16) & WASTE STABLISATION POND (2) ACROSS KOKHRI RIVER

S N	ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	EARTH WORK [illegible] FOUNDATION [illegible] LEAD 30&LIFT 1.5 M [illegible] (RES-251)	516.66	CUM	90.00	46499.69
2	P.C.C LAYING IN 1:6:12 WITH CEMENT AND FIND SAND AND 40mm GAUGE BRICK BALLAST COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-273 TO 275)	37.79	CUM	735.00	27772.03
3	M 150 BRICK WORK IN FOUNDATION 1:4 WITH CEMENT AND C/ SAND MORTAR COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-310)	145.18	CUM	920.00	133569.72
4	12 mm THICK PLASTER IN 1:4 CEMENT AND F/ SAND MORTAR COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-509)	581.95	SQM	115.00	66923.79
5	LAYING OF C. C. IN 1:2:4 [illegible] RATIO OF CEMENT C/SAND & 20 MM S/GRIT IN COMPLETE IN ALL RESPECT (RES-282)	15.56	CUM	850.00	13227.19
6	RRC WORK WITH CEMENT APPROVED C/SAND	22.76	CUM	1125.00	25602.75
7	MILD STEEL OR IRON IN PLAIN WORK SUCH AS R C C / [illegible] WORK WROUGHT TO REQUIRED SHAPE AS NECESSERY i/c BENDING FOR PROPER COMPLITION OF THE WORK i/c ALL. (RES-504)	22.33	QTL	1150.00	25680.98
					339276.15
	TOTAL				

SUMMARY OF COST

S N	PARTICULAR				AMOUNT
1	MATERIAL COST				1232400.81
2	LABOUR COST				339276.15
	TOTAL				1571676.97
3	[illegible] ENGINEER ESTIMATE FEE 1%				15716.77
				G.TOTAL	1587393.73
	OR SAY				1587400.00

Saurabh
Er. Saurabh Bhargva
Consultancy Engineer

Annexure- R-11

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक :- 591 /डीडीएम/खोखरी/ दिनांक :- 22-5-2025

विषय :- मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-194/ओ0ए0-201/अमित कुमार/2025/दि0 21.05.2025

जिलाधिकारी, शामली।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दि0 06.12.2024:-

8---------- "complete information in respect to the aspects mentioned in the orders passed by this tribunal and also the report of UPPCB particulairly removal of encroachments, approval of the Competment Authority for the Project, budgetary allocation of funds and allocation and execution of the work orders."

अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, शामली के पत्रांक सं0 193/ओ0ए0 201/अमित कुमार/2024 दि0 24.05.2024 द्वारा जनपद शामली में प्रवाहित खोखरी नदी का रेशटोरेशन प्लान तैयार कराये जाने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में 05 सदस्यीय टीम का गठन कर खोखरी नदी का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण दि0 04.07.2024 एंव 10.07.2024 को किया गया जिसमें नदी के संरेखण में आने वाले मकान जो ग्राम सकौती एंव ग्राम चौसाना के अर्न्तगत है, का चिन्हाकन करते हुए अतिक्रमित क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी एकत्रित की गई, ग्राम सकौती एंव ग्राम चौसाना के ग्रामवासियों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण कर खेती की जा रही है।

खोखरी नदी को पुर्नजीवित करने हेतु स्थाई एंव अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। इस खण्ड के खण्डीय जिलेदार द्वारा उपजिलाधिकारी ऊन, जनपद-शामली (मुजफ्फरनगर), से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया। अतः अतिक्रमण हटाने से सम्बंधित अग्रिम कार्यवाही उपजिलाधिकारी ऊन द्वारा की जानी है।

सिंचाई एव जल संसाधन विभाग द्वारा नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण का कार्य प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध मे जनपद शामली के अर्न्तगत खोखरी नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण से सम्बंधित समस्त डाटा नोडल खण्ड, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसके परिपेक्ष्य में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर द्वारा निम्नवत आख्या उपलब्ध कराई गई है:-

- सर्वे आफॅ इण्डिया, देहरादून एंव एन0आई0एच0, रूडकी को उनकी मांगानुसार भुगतान दिनांक 31.03.2025 में किया जा चुका है।
- सर्वे आफॅ इण्डिया, देहरादून द्वारा Dem data 04 महीने अर्थात् दिनांक 31.07.2025 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
- सर्वे आफॅ इण्डिया, देहरादून द्वारा डैम डाटा उपलब्ध कराने के उपरान्त 06 माह अर्थात् दिनांक 31.01.2026 तक एन0आई0एच0, रूडकी द्वारा खोखरी नदी की फ्लड प्लेन जोन की कार्यवाही पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।
- फ्लड प्लेन जोन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त गजट नोटिफिकेशन दि0 28.02.2026 तक जारी किया जायेगा।
- खोखरी नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण उपरान्त पिलर लगाने का कार्य दिनाक 30.04.2026 तक प्रस्तावित है।

यह आपको सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड,शामली (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक :- /डीडीएम/तदिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल,--गाजियाबाद, सिंचाई एंव जलसंसाधन विभाग,उ0प्र0,विक्टोरिया पार्क कालोनी,मेरठ।
2. उपजिलाधिकारी, ऊन-शामली।
3. कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शामली/मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।
5. सहायक अभियन्ता, प्रथम-ड्रेनेज खण्ड, शामली(मुजफ्फरनगर)

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज, खण्ड,शामली (मुजफ्फरनगर)

250 डाइग अनुभाग

A-9

मा0 एन0जी0टी0 के सं0–08 में कृत कार्यवाही का विवरण

महोदय

अवगत कराना है कि तहसील ऊन, जनपद शामली के क्षेत्रान्तर्गत खोखरी नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले ग्राम सकौती के 27 व्यक्तियों व चौसाना 07 के व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण निम्नवृत है–

बिन्दु 01 ग्राम सकौती में अतिक्रमण की स्थिति– खोखरी नदी की भूमि पर ग्राम सकौती, परगना बिडौली, तहसील ऊन, जनपद शामली में कुल 27 व्यक्तियों का अतिक्रमण पाये जाने के कारण खोखरी नदी के संरक्षित विभाग ड्रेनेज खण्ड शामली/मु0नगर की आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद संख्या टी 202509720702700, अन्तर्गत धारा 152 भा0ना0सु0सं0 सरकार बनाम हरेन्द्र आदि ग्राम सकौती, थाना–झिंझाना दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 11–04–2025 को प्रारम्भिक आदेश अन्तर्गत धारा 152(1)भा0ना0सु0सं0 निर्गत किया गया तथा थाना झिंझाना के माध्यम से उक्त आदेश प्रतिवादीगण को तामील कराया गया।

कृत कार्यवाही– उक्त 27 प्रतिवादी में से 03 प्रतिवादी लाभ सिंह पुत्र बलजीत सिंह व रामशरण शर्मा, तेजपाल शर्मा पुत्रगण केसोराम शर्मा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने हेतु समय चाहा गया था, जिनमें से 01 प्रतिवादी लाभ सिंह पुत्र बलजीत सिंह द्वारा दिनांक 23–05–2025 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। उक्त शेष 02 प्रतिवादी द्वारा अपना अतिक्रमण हटाये जाने का कोई साक्ष्य अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। 01 प्रतिवादी मोहित पुत्र चन्द्रपाल द्वारा दिनांक 26–05–2025 को न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। शेष 23 प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अतिक्रमण की स्थिति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से दिनांक 28–05–2025 को स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गयी। वाद उक्त में अग्रिम तिथि दिनांक 30–05–2025 वास्ते शेष जवाबदावा/सुनवाई हेतु नियत है।

बिन्दु 02 ग्राम चौसाना में अतिक्रमण की स्थिति– खोखरी नदी की भूमि पर ग्राम सकौती, परगना बिडौली, तहसील ऊन, जनपद शामली में कुल 07 व्यक्तियों का अतिक्रमण पाये जाने के कारण खोखरी नदी के संरक्षित विभाग ड्रेनेज खण्ड शामली/मु0नगर की आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद संख्या टी 202509720702701, अन्तर्गत धारा 152 भा0ना0सु0सं0 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, थाना–झिंझाना दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 11–04–2025 को प्रारम्भिक आदेश अन्तर्गत धारा 152(1) भा0ना0सु0सं0 निर्गत किया गया तथा थाना झिंझाना के माध्यम से उक्त आदेश प्रतिवादीगण को तामील कराया गया।

कृत कार्यवाही– उक्त 07 प्रतिवादी में से तामील के दौरान 01 प्रतिवादी महीपाल पुत्र जगबीरा उर्फ रगबीरा निवासी चौसाना मृतक पाये जाने पर मृतक के वारिसान के सम्बन्ध में लेखपाल आख्या प्राप्त की गयी। मृतक महीपाल पुत्र जगबीरा के वारिस संजीव पुत्र महीपाल का नाम पूर्व सही ही प्रतिवादी के रूप में दर्ज है। शेष कुल 06 प्रतिवादी में से 03 प्रतिवादी प्रमोद पुत्र बिन्दर व घसीटू, विनोद पुत्रगण बिशम्बर द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम उपस्थित होकर समय चाहा गया, परन्तु उक्त तीनो प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया। इस प्रकार उक्त 06 प्रतिवादीगण में से किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अतिक्रमण की स्थिति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से दिनांक 28–05–2025 को स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गयी। वाद उक्त में अग्रिम तिथि दिनांक 30–05–2025 वास्ते जवाबदावा/सुनवाई हेतु नियत है।

विशेष कथन– प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित होने के कारण उक्त योजित दोनों वादो में दिन प्रतिदिन की तिथि नियत करते हुए तथा सम्बन्धित पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित असवर प्रदान करते हुए वादो का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।

28/5/25

(निधि भारद्वाज)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऊन, जनपद शामली